1st वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

इग्नाइट इनोवेट इंक्यूबेट

birac
Ignite Innovate Incubate

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल

(भारत सरकार का उद्यम)

1st वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल
(भारत सरकार का उद्यम)

बाइरैक पर एक दृष्टि

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा स्थापित 'गैर लाभकारी कम्पनी' राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद विकास जरूरतों को संबोधित करने के लिए सामरिक अनुसंधान और नवाचार हेतु उभरते बायोटेक उद्यम को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस के तौर पर कार्यरत

फोकस

वहनीय उत्पाद विकास के लिए सामरिक नवाचार पारिस्थितिकी व्यवस्था को सशक्त और समर्थ बनाना

विजन

'समाज के सबसे बड़े वर्ग की जरूरतों को संबोधित करने के लिए वहनीय उत्पाद तैयार करने हेतु भारतीय बायोटेक उद्योग, विशेष कर लघु एवं मध्यम उद्यमों की सामरिक अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को प्रेरित, पोषित और प्रबलित करना।'

मुख्य कार्यनीतियां

- अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में वहनीय नवाचार को प्रोत्साहन देना
- आरंभ होने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना
- क्षमता बढ़ाने के लिए भागीदारी के माध्यम से योगदान
- भागीदारी के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देना
- खोज के वाणिज्यीकरण को समर्थ बनाना
- भारतीय उद्यमियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।

बाइरैक की मूल मान्यताएं

ईमानदारी • पारदर्शिता • दलकार्य • उत्कृष्टता • वचनबद्धता

बायोटेक्नोलॉजी इगनिशन ग्रांट (बिग) योजना

संकल्पना प्रमाण की स्थापना और सत्यापन। अनुसंधानकर्ताओं को आरंभ होने वाली कम्पनी के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बाजार के नजदीक लाने का बढ़ावा देना

- बिग की शुरूआत की गई थी और 30 युवा उद्यमियों को अब तक बढ़ावा दिया गया है। संकल्पना प्रमाण की खोज के लिए ₹50 लाख की शुरूआती निधि प्रदान की गई है।

स्माल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव (एसबीआईआरआई) सहायता

- उच्च जोखिम, अत्यधिक नवाचारी प्रौद्योगिकियों/उद्यमियों को पोषण देना
- आरंभिक चरण, संकल्पना प्रमाण अनुसंधान को सहायता देना
- 134 परियोजनाओं को सहायता
- प्रतिबद्ध निधि–₹190 करोड़ (38 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के साथ (₹30 करोड़ या 6 अमेरिकी मिलियन) उदार ऋण(₹160 करोड़ या 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर)
- उद्योग द्वारा निवेश ₹200 करोड़ (40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) सभी परियोजनाओं के लिए कुल संचयी निवेश ₹390 करोड़ (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम (बीआईपीपी) सहायता

- उच्च जोखिम, अत्यधिक नवाचारी प्रौद्योगिकी के लिए
- 102 करारों पर हस्ताक्षर
- 93 कम्पनियां शामिल, 15 आरंभ होने वाली, 60 एसएमई, 28 शैक्षिक भागीदार
- ₹ 298 करोड़ (55 मिलियन अमेरिकी डॉलर) बाइरैक/डीबीटी का अंशदान
- ₹ 499 करोड़ (92 मिलियन अमेरिकी डॉलर) कम्पनी का अंशदान

₹ 797 करोड़ (147 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के कुल निवेश की प्रतिबद्धता

जैव इक्यूबेटर सुदृढ़ीकरण योजना (बीआईएसएस)

उद्यमियों और आरंभ होने वाली कंपनियों के लिए विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन स्थान का सृजन

- 12 जैव इंक्यूबेटरों की स्थापना
- 70000 वर्ग फीट के इंक्यूबेटर स्थान बनाए गए
- 100 से अधिक इंक्यूबेटीस को लाभ

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान

उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी द्वारा अनुसंधान और विकास के माध्यम से उत्पादों की प्रदायगी (जो किफायती और पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं) इसे उद्योग तथा बाइरैक द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया जाता है।

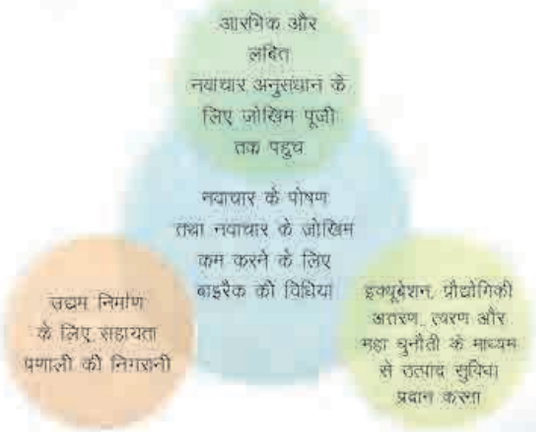

अनुबंध अनुसंधान योजना (सीआरएस)

औद्योगिक मान्यता और विकास की सुविधा। सार्वजनिक क्षेत्र अनुसंधान नेतृत्व के हस्तांतरण को अनुबंध अनुसंधान योजना के साथ प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रौद्योगिकी नेतृत्व उद्योग मान्यता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी 10 भागीदारी का समर्थन किया गया है।

विषयवस्तु

सूचना	1
अध्यक्ष का संदेश	3
निदेशक मंडल	4
कॉर्पोरेट सूचना	7
निदेशक की रिपोर्ट	9
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	21
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	27
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	35
तुलन पत्र	38
आय और व्यय लेखा	39
लेखा पर टिप्पणी	40
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	44
नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां (सी एंड एजी)	50

प्रथम वार्षिक आम सभा की सूचना

बायोटेकनोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) के सदस्यों की प्रथम आम सभा की सूचना दी जाती है जो निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएगी :

दिनांक : 30.09.2013 (सोमवार)

समय : सुबह 11.30 बजे

स्थल : ए–254, भीष्म पितामह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 24

निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए

साधारण कार्य:

1. 31 मार्च 2013 को कंपनी के लेखा परीक्षित तुलना पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के विवरण एवं इस पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।
2. इस विषय में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धि नियत करना, और यदि इसे पारित करने के लिए संशोधनों के साथ या इनके बिना विचार करना, साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प

   "संकल्प किया जाता है मे./संपर्क एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, हैं और इन्हें एतद्द्वारा कंपनी के प्रथम लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो निदेशक मंडल द्वारा तय उक्त परिलब्धियों पर कंपनी की अगली वार्षिक आम सभा में निष्कर्ष तक कार्यालय में रहें।

बैठक की सूचना पर टिप्पणियां

1. कंपनी के केवल मूल सदस्य, जिनके नाम विधिवत् भरी गई वैध उपस्थिति पर्चियों में दर्ज है और हस्ताक्षरित हैं, उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी। कंपनी को बैठक में गैर सदस्यों के भाग लेने को प्रतिबंधित करने के लिए अनिवार्य पाए गए सभी कदम उठाने का अधिकार है।
2. सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर वार्षिक आम सभा की तिथि और बैठक में भी उपलब्ध हैं।
3. कंपनी के लेखा और प्रचालनों पर किसी भी पूछताछ के उत्तर दिए जाएंगे, यदि कोई है, जिन्हें बैठक के दस दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजा जाए, ताकि सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जा सके।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को पते में बदलाव की जानकारी दें, यदि कोई हों।

बोर्ड की ओर से आदेश
संदीप कुमार लाल
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
ए–254, भीष्म पितामाह मार्ग
डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 24
दिनांक 11 सितंबर 2013

अध्यक्ष का संदेश

मुझे बाइरैक की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी है, जो वहनीय उत्पाद विकास के लिए नवाचारी अनुसंधान विकास को प्रोत्साहन देने और मैंटरिंग के लिए देश में अपने प्रकार का एक अनोखा संगठन है। ट्रांसलेशनल अवस्था से उत्पाद विकास के माध्यम से अनुसंधान के लिए उद्योग भागीदारी को प्रोत्साहन देने की जरूरत समझते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी कार्यनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें कहा गया कि इसके बजट का 30 प्रतिशत भाग सार्वजनिक निजी भागीदारी में लगाया जाएगा और इसके कार्यान्वयन तथा निष्पादन के लिए एक पृथक संगठन, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) स्थापित किया जाएगा। मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सरकार ने नवंबर 2011 में इस प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र संगठन स्थापित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। धारा 25 के तहत अलाभकारी कंपनी के रूप में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) का पंजीकरण किया गया।

अपने अस्तित्व के एक वर्ष के अंदर बाइरैक अनेक पणधारियों, उद्योग, शिक्षा जगत, समान विचार धारा के राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य मंत्रालयों के साथ संलग्न और संपर्क में है।

बाइरैक संपूर्ण नवाचारी पारिस्थितिकी तंत्रों को समर्थन और सशक्तीकरण प्रदान करने के लिए कार्यरत है। आज 200 से अधिक आरंभ होने वाली बड़ी, छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियां और उद्यमी बाइरैक के नवाचारी नेटवर्क के भाग के रूप में कार्य करती हैं।

प्रथम वर्ष के दौरान एक अत्यंत सशक्त आधार के साथ बाइरैक अब उन सभी पणधारियों के साथ अपनी पहुंच बढाने और भागीदारों के साथ आगे की दिशा में कार्यरत है जो "वहनीय उत्पाद विकास के लिए नवाचारी अनुसंधान" के इस लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देते हैं।

प्रो. के. विजय राघवन,
अध्यक्ष, बाइरैक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 सितंबर, 2013

निदेशक मंडल

प्रो. के. विजय राघवन	:	अध्यक्ष
डॉ. रेनू स्वरूप	:	प्रबंध निदेशक

गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक

डॉ. अशोक झुनझुनवाला	:	निदेशक
डॉ. गगनदीप कांग	:	निदेशक
प्रो. दीपक पेंटल	:	निदेशक
डॉ. दिनकर एम सालुंके	:	निदेशक

प्रो. के. विजय राघवन का परिचय

प्रो. के. विजय राघवन, 28 जनवरी 2013 से सचिव जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार हैं। इसके पहले वे टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) के राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एनसीबीएस) के निदेशक तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के एक नए स्वायत्त संस्थान, स्टेम कोशिका जीव विज्ञान और पुनर्जनन चिकित्सा (इन स्टेम) के अंतरिम अध्यक्ष थे। प्रो. के. विजय राघवन ने एक विकास जीव वैज्ञानिक के रूप में विज्ञान को अपना योगदान दिया और उन्हें व्यापक मान्यता प्राप्त है। उन्हें 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग द्वारा मानद डॉ. ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जे. सी. बोस अध्येता वृत्ति प्राप्त हुई है। उन्होंने 2010 में रायल सोसायटी में जे. सी. बोस स्मृति व्याख्यान दिया और उन्हें 2009 में जीवन विज्ञान में आरंभ किया गया इंफोसिस पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 1998 मे भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और भारतीय विज्ञान अकादमी के सदस्य है एवं उन्होंने परिषद के लिए भी कार्य किया है। प्रो. के. विजय राघवन एक मात्र भारतीय है जिन्हें यूरोपीयन मौलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गनाइजेशन का सहयोगी सदस्य निर्वाचित किया गया है। वर्ष 2012 में प्रो. के. विजय राघवन को रॉयल सोसायटी का अध्येता निर्वाचित किया गया था।

डॉ. रेणू स्वरूप का परिचय

डॉ. रेणू स्वरूप वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) में सलाहकार हैं। डॉ. रेणू स्वरूप आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में पीएचडी है और उन्होंने राष्ट्र मंडल छात्रवृत्ति के तहत जॉन इंस सेंटर, नॉर्विच, यूके में अपनी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति पूरी की और भारत वापस आकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार में 1989 के दौरान उन्होंने विज्ञान प्रबंधक के पद पर कार्यभार संभाला। डीबीटी में वे राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड की प्रमुख हैं और ऊर्जा जीव विज्ञान, जैव संसाधन विकास तथा उपयोगिता एवं पादप जैव प्रौद्योगिकी–जैव पूर्वानुमान, ऊतक संवर्धन एवं बायोमास से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के क्षेत्र में विकास, निधिकरण एवं निगरानी कार्यक्रमों में शामिल है। विज्ञान प्रबंधक के रूप में उनके कार्यों में नीति आयोजन और कार्यान्वयन से संबंधित मामले शामिल रहे। वे 2001 में जैव प्रौद्योगिकी संकल्पना के निर्माण तथा 2007 में विशेषज्ञ समिति की सदस्य सचिव के रूप में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति में सक्रिय रूप से संलग्न रही। वे प्रधान मंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा गठित विज्ञान में महिलाओं के कार्यबल की सदस्य भी थीं। उन्हें 2012 में "बायोस्पेक्ट्रम पर्सन ऑफ द इयर अवॉर्ड" से सम्मानित किया गया था।

स्वतंत्र निदेशकों का परिचय

डॉ. अशोक झुनझुनवाला

डॉ. झुनझुनवाला ने आईआईटी से बी.टेक की डिग्री ली, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेन, यूएसए से एमएस और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वे 1979 से 1981 तक वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में सहायक प्रो. के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने 1981 से आईआईटी मद्रास में अध्यापन किया। डॉ. झुनझुनवाला आईआईटी मद्रास में दूर संचार और कंप्यूटर नेटवर्क समूह (टीनैट) के प्रमुख थे। यह समूह दूर संचार और कंप्यूटर नेटवर्क प्रणालियों के विकास में उद्योग के साथ मिलकर कार्य करता है। टीनैट समूह ने अनेक प्रौद्योगिकी कंपनियों को सहायता दी है, जो ग्रामीण बाजारों के लिए विश्वस्तरीय दूर संचार तथा बैंकिंग उत्पादों के विकास में टीनैट समूह की भागीदारी में कार्य करता है।

डॉ. अशोक झुनझुनवाला को वर्ष 2002 में पदमश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 1997 के लिए डॉ. विक्रम साराभाई अनुसंधान पुरस्कार, 1998 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वर्ष 2000 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस में मिलेनियम पदक, वर्ष 2002 में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए एचके फिरोडिया पुरस्कार, वर्ष 2004 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए श्री ओम प्रकाश भसीन फाउंडेशन पुरस्कार, वर्ष 2006 के लिए जवाहर लाल नेहरु जन्म शताब्दी व्याख्यान पुरस्कार और 2006 में आईबीएम द्वारा आईबीएम नवाचार और नेतृत्व मंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे आईएनएई, आईएएस, इंसा और एनएएस के अध्येता हैं। डॉ. झुनझुनवाला एसबीआई के बोर्ड में निदेशक हैं। वे टीटीएमएल, बीईएल, पोलारिस, 3 आई इंफोटेक, सासकेन, तेजस, एनआरडीसी और आईडीआरबीटी सहित भारत में अनेक कम्पनियों के बोर्ड सदस्य भी हैं। वे प्रधान मंत्री द्वारा गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

डॉ. गगनदीप कांग

वर्तमान में वे द वैलकम ट्रस्ट रिसर्च लैब, जठरांत्र विज्ञान विभाग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वैलोर, तमिलनाडु, भारत की प्रमुख हैं। डॉ. कांग अनुसंधान, अध्यापन और नैदानिक गतिविधियों के लिए उत्तर दायी केंद्रीय अनुसंधान प्रोफेसर हैं।

डॉ. कांग ने रोटावायरस महामारी विज्ञान, रोकथाम, टीका विकास पर केंद्रित बच्चों में डायरिया पर अनुसंधान किया है। आण्विक तिभेद निगरानी के लिए उन्होंने भारतीय एंटेरिक वायरोलॉजी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करने तथा एसईएआरओ हेतु डब्ल्यूएचओ रोटावायरस संदर्भ प्रयोगशाला के लिए कार्य किया, कुल मिलाकार जिसके परिणाम स्वरूप महामारी विज्ञान, भारत में इसके भार और फैलाव पर अंतरदृष्टि प्राप्त हुई। वर्ष 2006 में डॉ. कांग को बच्चों में रोटावायरस के आण्विक महामारी विज्ञान को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए महिला जैव वैज्ञानिक भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वे टीका निरापदता पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक सलाहाकार समिति की सदस्य है। डॉ. कांग ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 130 से अधिक शोधपत्र प्रकाशित किए हैं। वे पीएलओएस नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की सहयोगी संपादक है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय निधिकरण एजेंसियों की अनेक समीक्षा समितियों में कार्य करती हैं।

उन्होंने सीएमसी से एमबीबीएस, एमडी और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और उन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स, लंदन की अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है। वे भारतीय विज्ञान अकादमी और अमेरिकन अकादमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की निर्वाचित अध्येता भी हैं।

प्रो. दीपक पेंटल

प्रो. दीपक पेंटल, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिण परिसर में आनुवंशिकी के प्रोफेसर हैं। वे पंजाब विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं और वे यूनिवर्सिटी ऑफ रुटगर्स, यूएसए के स्नातकोत्तर अध्येता थे। उनकी विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्र हैं पादप जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिकी तथा पादप प्रजनन। प्रो. पेंटल को शिक्षा और अनुसंधान में उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं जैसे 'ऑफिसर डेस पाम्स एकाडेमिक' फ्रांस की लोकतांत्रिक सरकार द्वारा प्रदान किया गया, कृषि में अनुसंधान के लिए ओ पी भसीन पुरस्कार (2008) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए फिक्की पुरस्कार (2010)। प्रो. पेंटल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के निर्वाचित सदस्य हैं। उन्हें डीएसटी द्वारा जे सी बोस राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति (2009) और जवाहरलाल नेहरु जन्म शताब्दी अतिथि अध्येता वृत्ति (2008) इंसा द्वारा प्रदान की गई है।
उनके पास प्रकाशनों, शोध पत्रों और पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला के अलावा पांच पेटेंट भी हैं।

डॉ. दिनकर मश्नु सालुंके

डॉ. सालुंके, पीएचडी (आईआईएससी) एफएनएएस क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के अधिशासी निदेशक हैं।
डॉ.सालुंके की अनुसंधान रुचियां हैं प्रतिरक्षी पहचान का संरचनात्मक जीव विज्ञान, आण्विक मिमिक्री और एलर्जी।
अध्येतावृत्ति/ व्यावसायिक निकायों की सदस्यता
वे अध्येता, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (2004), अध्येता, भारतीय विज्ञान अकादमी (2001), अध्येता, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (1995), आण्विक प्रतिरक्षा विज्ञान फोरम के सदस्य (1995), सदस्य, गुहा अनुसंधान सम्मेलन (1993) हैं।

डॉ. सालुंके को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :
राष्ट्रीय जीव विज्ञान पुरस्कार (1999), जैविक विज्ञान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (2000), प्रो. आर सी शाह स्मृति पुरस्कार (2000), चिकित्सा विज्ञान में मूलभूत अनुसंधान के लिए रैनबैक्सी अनुसंधान पुरस्कार (2002), डॉ. सीआर कृष्णा मूर्ति ओरेशन पुरस्कार (2004), डॉ. ए टी वारुटे ओरेशन पुरस्कार (2005), जे सी बोस राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति पुरस्कार (2007), एसके मित्रा जन्म शताब्दी स्वर्ण पदक (2009) और प्रो. जीएन रामचंद्रन 60 जन्म शताब्दी स्मरणोत्सव पदक (2009)।

कॉर्पोरेट सूचना

पंजीकृत कार्यालय	:	पंजीकृत कार्यालय : ए–254, भीष्म पितामह मार्ग डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–24
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	मे. संपर्क एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट, तीसरा तल, नीलकांत हाउस एस–524, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली–110092
बैंकर्स	:	कॉर्पोरेशन बैंक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कम्पनी सचिव	:	श्री संदीप कुमार लाल (अंशकालिक प्रतिनियुक्ति पर)

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

सदस्यों के लिए,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित तुलना पत्र और आय तथा व्यय लेखा के साथ प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

कंपनी के बारे में

मंत्रीमंडल के अनुमोदन के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) की स्थापना धारा 25 कंपनी के रूप में एक गैरलाभकारी कंपनी के तौर पर की गई और 20 मार्च 2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन की गई है। बाइरैक जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक इंटरफेस एजेंसी है और इसे बायोटेक उद्यमों, खास तौर पर आरंभ होने वाले और एसएमई को उनकी नवाचार अनुसंधान क्षमताएं बढ़ाने एवं वहनीय उत्पाद विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इनके पोषण और संवर्धन का अधिदेश प्राप्त है। बाइरैक शिक्षा –उद्योग जगत मेलजोल को समर्थन देता है, उभरते हुए बायोटेक उद्योग के लिए एकल बिंदु के तौर पर कार्य करता है, व्यावसायिक और संस्थागत नेटवर्कों के साथ संपर्क बनाने में सहायता देता है तथा वहनीय समाधानों और उत्पाद विकास पर लक्षित गुणवत्ता नवाचार के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करता है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में एक पृथक रिपोर्ट लगाई गई है।

बाइरैक की विचारधारा

अपने अस्तित्व के प्रथम वर्ष में बाइरैक ने अनेक योजनाएं, नेटवर्क और प्लेटफॉर्म आरंभ किए हैं जो उद्योग–शैक्षिक नवाचार अनुसंधान में मौजूदा अंतरालों को पाटने में सहायता देते हैं तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नए, उच्च गुणवत्ता वाले वहनीय उत्पाद विकास की सुविधा देते हैं। बाइरैक ने अनेक राष्ट्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग के लिए प्रतिभागिता के शुरूआत की है ताकि इसके अधिदेश की मुख्य विशेषताओं की प्रदायगी की जा सके।

बाइरैक के प्राथमिक अधिदेशों में से एक है **"सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में आरंभ होने वाली बायोटेक कंपनियों को बढ़ावा देना,**

बिंदुओं को जोड़ना–सहयोग बढ़ाना

बाइरैक अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से "मौत की घाटी" को कम करने और अंतराल पाटने की दिशा में प्रयास करता है। बाइरैक द्वारा बायोटेक क्षेत्र में 68 सहयोगों को बढ़ावा दिया गया है।

रूपांतरित करना और नवाचारी अनुसंधान में जीवक्षम और प्रतिस्पर्धी उत्पादों और उद्यमों में रूपांतरण। बाइरैक की मुख्य विचारधारा नवाचार को प्रोत्साहन देना और खोज के रूपांतरण को बढ़ावा देने के साथ विचारोत्तेजक नए आविष्कारों को बाजार में तैयार प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में रूपांतरित करना।

बाइरैक का प्रयास खोजों को उत्पाद में रूपांतरित करने के महत्वपूर्ण और निर्णायक चरणों को महत्व प्रदान करना है। बाइरैक के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के वैज्ञानिक आरंभिक कार्य विकसित करने, उद्योग के साथ नजदीकी से मेलजोल और इन्हें उत्पादों में रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाइरैक अपनी निवेश योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान कर्ताओं को, पहली पीढ़ी के उद्यमियों, आरंभ होने वाली कंपनियों तथा एसएमई को अनिवार्य अवसर प्रदान करता है ताकि ये अपनी खोज और नवाचार को प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में आगे ले जा सकें, और वाणिज्यिकरण के माध्यम से भारतीय उद्यमियों की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सुनिश्चित कर सकें।

बाइरैक का प्रयास "2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बायोटेक उद्योग" और एक वास्तविक "भारतीय जैव अर्थव्यवस्था" की भारतीय संकल्पना को पूरा करने के लिए नवाचार से प्रेरित बायोटेक उद्यमों को सशक्त, समर्थ बनाना एवं उत्प्रेरित करना है।

नवाचार जोखिमों को कम करना तथा नवाचार को पोषण देकर उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना।

बाइरैक में कार्यान्वयन विधियां आरंभिक और बाद की अवस्था में नवाचार अनुसंधान के लिए 'जोखिम पूंजी' तक पहुंच प्रदान करते हुए बायोटेक उद्योग क्षेत्र पर धनात्मक प्रभाव डालने के लिए है जो वहनीय उत्पाद विकास, उत्पाद नवाचार की सुविधा तथा इंक्यूबेशन, प्रौद्योगिकी अंतरण, त्वरण और महाचुनौती के माध्यम से वाणिज्यिकरण एवं उद्यम निर्माण के लिए सहायता प्रणाली प्रदान करती है।

नवाचार को पोषण देने के लिए बाइरैक ने अनेक प्रयास आरंभ किए हैं और इनमें इस पर्याप्त सफलता मिली है। बाइरैक की सशक्त धारणा है कि राष्ट्र की 'जैव नवाचार पूंजी' नवीन विचारों से आएगी, जो आरंभ होने वाली कंपनियों या शैक्षिक उपोत्पादों से उत्पन्न होंगे।

क. बायोटेक्नोलॉजी इगनिशन ग्रांट (बिग)

बाइरैक की कार्यनीति ऐसे अनेक विचारोत्तेजक विचारों के साथ नवाचार आरंभ करने की है, जो निधिकरण और मेंटर शिप की अपूरित मांग वाले हैं। इस कार्यनीति को एक बायोटेक्नोलॉजी इगनिशन ग्राट (बिग) नामक अनुदान निधिकरण योजना के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो अनुसंधान संस्थानों, शिक्षा जगत तथा आरंभ होने वाली कंपनियों से आने वाले वैज्ञानिक उद्यमियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना को खोज तथा आविष्कार के बीच अंतराल को पाटने में सहायता देने के लिए बहुत आरंभिक चरण से अनुदान देकर अनुसंधान खोजों के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

बिग योजना के उद्देश्य हैं:

- वाणिज्यीकरण की संभावना वाले विचारों को पोषण देना
- संकल्पना प्रमाण को उन्नत बनाना और सत्यापित करना
- आरंभ होने वाली कंपनी के माध्यम से अनुसंधान कर्ताओं को प्रौद्योगिकी बाजार के समीप लाने का बढ़ावा देना।
- उद्यम निर्माण को प्रोत्साहन देना।

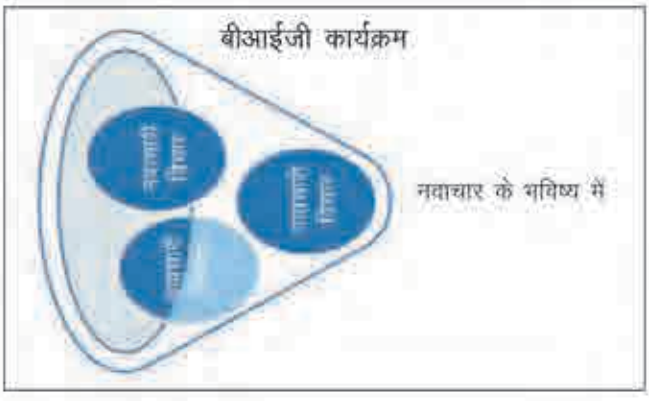

बिग नवाचारियों को परियोजना के दौरान 3 बिग भागीदारों (सी–कैम्प, बैंगलोर, आईकेपी ज्ञान पार्क हैदराबाद और एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली) से मैंटरिंग और नेटवर्किंग सहायता प्राप्त होती है।

अबतक 3 आमंत्रण घोषित किए गए है और लगभग 465 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। प्रथम आमंत्रण में 18 परियोजनाओं को समर्थन दिया गया। बिग के तहत प्रस्तावों के दूसरे आमंत्रण में निधिकरण के लिए 30 परियोजनाओं को चुना गया है। समुद्री शैवाल से अष्टामर आधारित तपेदिक की जांच के लिए ब्यूटेनॉल निष्कर्षण की नई विधियों की अनेक उत्तम विचार चुने गए थे।

इंट्रा ओसियस एक्सेस डिवाइस (योजना:बीआईजी के तहत निधिकृत)

फीटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और यूटेराइन एक्टिविटी सिग्नल एक्सट्रेक्शन (योजना : बीआईजी के तहत निधिकृत)

ख. इग्नाइट

बाइरैक और सेंटर ऑफ इंटरप्रैन्यूरियल लर्निंग (सीएफईएल) ऑफ जज बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने एक भागीदारी की शुरुआत की जो बाइरैक द्वारा समर्थित 5 आवेदकों को सीएफईएल फ्लैगशिप सघन उद्यमशीलता बूट कैम्प कार्यक्रम जिसे 'इग्नाइट' कहते हैं, में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। इसका लक्ष्य उनके नवाचारी विचारों को उद्यमशील अवसर की खोज के लिए आरंभ होने वाली कंपनियों और वैज्ञानिकों को इन्हें व्यापार परियोजना में रूपांतरित करना है। वर्ष 2013 में बाइरैक द्वारा बिग अनुदान ग्राहियों तथा स्टैनफोर्ड इंडिया बायोडिजाइन (एसआईबी) से 5 प्रत्याशियों को चुना गया। बाइरैक द्वारा समर्थित 5 कंपनियों के इस प्रथम बैच के इग्नाइट प्रत्याशियों को जुलाई में 2 सप्ताह के लिए कैम्ब्रिज में प्रशिक्षण दिया गया।

ग. बायो–इंक्यूबेटर

जैव प्रौद्योगिकी में तकनीकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए बाइरैक ने मौजूदा बायोइक्यूबेटरों को सशक्त बनाने और उनके उन्नयन की एक योजना आरंभ की है तथा कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर नए विश्वस्तरीय बायोइक्यूबेटर भी स्थापित किए जाने हैं। ये बायोइक्यूबेटर अपनी आरंभिक वृद्धि वाली कंपनियों को इक्यूबेशन का स्थान और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। देश भर में मौजूद 12 बायोइक्यूबेटर सशक्त बनाए गए हैं और आरंभ होने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए लगभग 70 हजार वर्ग फीट बायोइक्यूबेटर स्थान तैयार किया गया है।

जैव प्रौद्योगिकी में तकनीकी उद्यमशीलता को राष्ट्रीय स्तर तक आगे ले जाने के लिए बाइरैक ने एनसीआर, फरीदाबाद में डीबीटी बायोक्लस्टर में नया विश्वस्तरीय बायोइक्यूबेटर की स्थापना का कदम बढ़ाया। बाइरैक और क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी) के बीच एनसीआर बायोक्लस्टर की ओर से एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। यह बाइरैक बायोइक्यूबेटर चिकित्सा युक्तियों, बायोफार्मा टीकों और नैदानिकी तथा औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पर केन्द्रित होगा। बायोइक्यूबेटर द्वारा उद्यमियों तथा आरंभिक वृद्धि वाली कंपनियों को इंक्यूबेशन का स्थान और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे।

वहनीय उत्पाद विकास के लिए भारतीय बायोटेक नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त, समर्थ और प्रेरित करना:

बाइरैक की निधिकरण विधियों में अनेक उत्पाद विकास प्रस्तावों को 'प्रत्यक्ष जोखिमों' और 'नवाचारशीलता' को मान्यता देना

तथा मूल्यांकन करना शामिल है। निधिकरण योजनाओं में नवाचार के भविष्य के सभी पक्ष शामिल हैं। नए विचार यह है कि उत्पन्न होने और बढ़ने के लिए वाणिज्यीकरण की संभाव्यता को प्रोत्साहन दिया जाए। संकल्पना प्रमाण और अल्फाप्रोटोटाइप परियोजना, क्लिनिकल और क्षेत्र परीक्षणों के माध्यम से विलंबित चरण उत्पाद विकास, प्रायोगिक चरण और उन्नत चरण को समर्थन दिया जाता है। अनेक निधिकरण योजनाओं में उद्योग तथा शिक्षा जगत को एक साथ लाने के प्रयास द्वारा बाइरैक की वचनबद्धता में बायोटेक पारिस्थितिक तंत्र के इन दोनों महत्वपूर्ण प्रणधारियों के बीच सशक्त सेतु बनाने का कार्य किया जाता है।

क) स्माल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव (एसबीआईआरआई)

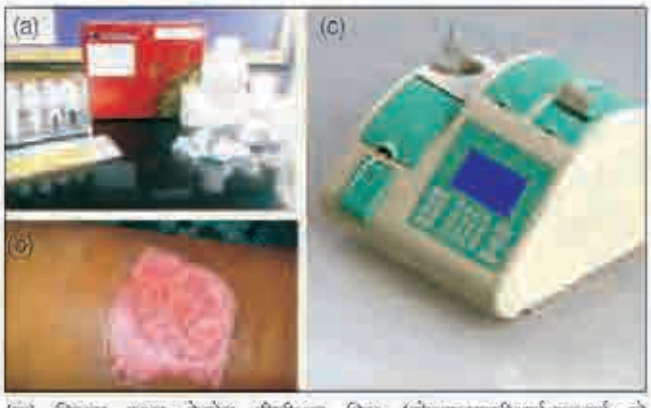

स्माल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च इनीशिएटिव (एसबीआईआरआई) योजना 2007 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(क) सिंगल ट्यूब नेस्टेड पीसीआर किट (योजना एसबीआईआरआई के तहत निधिकृत) (ख) घाव की देखभाल के लिए रेशमी प्रोटीन मिश्रित फिल्म (योजना एसबीआईआरआई के तहत निधिकृत) (ग) अल्प लागत और भरोसेमंद क्लिनिक रसायन एनालाइजर (योजना एसबीआईआरआई के तहत निधिकृत)

मंत्रालय द्वारा देश में बाइरैक द्वारा किए जाने जाने वाले प्रयासों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई। एसबीआई आरआई अपने प्रकार अनोखा प्रयास है जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आरंभिक चरण के नवाचार पर केन्द्रित पीपीपी प्रयास है। इसने छोटी और मध्यम कंपनियों द्वारा जोखिम लेने और नवाचार की सुविधा ही नहीं बल्कि निजी उद्योग, सार्वजनिक संस्थानों और सरकार को एक स्थान पर ला कर भारतीय बायोटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने में सहायता की है। इस योजना के तहत सहायता पाने वाली परियोजनाओं से कुछ उत्पादों के रूप में प्रमुख परिणाम मिले हैं, जो पहले ही बाजार में आ चुके हैं और वाणिज्यीकरण के लिए आशाजनक अनुसंधान किए गए हैं।

एसबीआईआरआई में क्षेत्र विशिष्ट निधियों का प्रतिशत वितरण

इस योजना के उद्देश्य हैं:

- उद्योग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी में आरंभिक चरण, संकल्पनापूर्व अनुसंधान को सहायता देना।
- नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को सहायता देना, खासतौर पर जो स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य और पोषण, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में समाज की जरूरतों से संबंधित है।
- नवाचारी और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों/उद्यमियों को पोषण देना और मैंटर करना।
- शिक्षा जगत और सरकार के साथ उपयुक्त सहसंबंध बनाने के लिए नए उद्यमियों को सहायता देना।

कुल 140 परियोजनाओं को समर्थन दिया गया है, जिसमें 425 करोड़ रु. के वचनबद्ध निवेश के साथ 100 से अधिक कंपनियां शामिल हैं।

ख) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप कार्यक्रम (बीआईपीपी)

सरकार द्वारा 2008 में अनुमोदित बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप योजना उच्च जोखिम, खोज से प्रेरित नवाचारी अनुसंधान हेतु बनाई गई है। योजना के समग्र उद्देश्य है

- उद्योग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी में आरंभिक चरण, संकल्पनापूर्व अनुसंधान को सहायता देना।

बीआईपीपी में क्षेत्र विशिष्ट निधियों का प्रतिशत वितरण

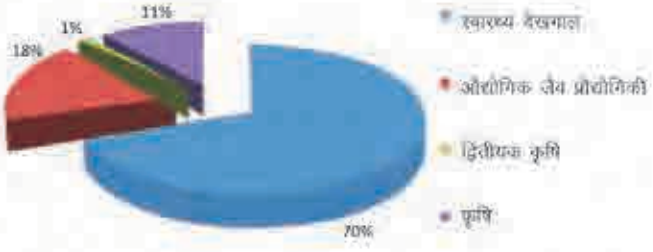

- नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को सहायता देना, खासतौर पर जो स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य और पोषण, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में समाज की जरूरतों से संबंधित है।

(क) इन्फ्लूएन्जा टीकों का क्लिनिकल विकास (योजना बीआईपीपी के तहत निधिकृत) (ख) परक्यूटेनियस एरोटिक वॉल्व (पीएवी) प्रौद्योगिकी (योजना बीआईपीपी के तहत निधिकृत)

(क) ओंकोस्कैन–डिजिटल ओंकोपैथोलॉजी स्लाइड स्कैनर (योजना : बीआईपीपी के तहत निधिकृत) (ख) एलोपेसिया के इलाज के लिए टॉपिकल जैल में बने नए पेप्टाइड्स का विकास (योजना : बीआईपीपी के तहत निधिकृत)

- नवाचारी और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों/उद्यमियों को पोषण देना और मैंटर करना।
- शिक्षा जगत और सरकार के साथ उपयुक्त सहसंबंध बनाने के लिए नए उद्यमियों को सहायता देना।

उत्पाद विकास के चरणों के अनुसार निधि का प्रवाह

बीआईपीपी की 59 प्रतिशत निधि उत्पादों या प्रक्रम के सत्यापन के लिए 51 परियोजनाओं के लेखाकरण की वचनबद्धता वाली हैं। सत्यापन चरण पर परियोजना के साथ जोखिम और राशि बहुत अधिक दर्शाई गई है और बीआईपीपी योजना को सशक्त बनाने का कार्य उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

एसबीआईआरआई की 56 प्रतिशत निधि उत्पादों या प्रक्रम के सत्यापन के लिए 64 परियोजनाएं संकल्पना प्रमाण के लिए हैं। इससे दर्शाया जाता है कि एसबीआईआरआई योजना प्राथमिक रूप से उत्पाद विकास चक्र के आरंभिक चरणों के लिए संकल्पना प्रमाण की स्थापना हेतु बनाया जाता है।

अब तक 95 कंपनियों के साथ 110 परियोजनाओं को समर्थन दिया गया है। कुल 700 करोड़ रु. की वचनबद्धता है जिसमें सरकार का अंशदान 300 करोड़ रु. और उद्योग का योगदान 400 करोड़ रु. है।

ग) संविदा अनुसंधान और सेवा योजना (सीआरएस)

बाइरैक का एक प्रमुख फोकस शिक्षा जगत–उद्योग मेलजोल को समर्थ बनाने तथा सार्वजनिक निधिकृत अनुसंधान को शिक्षा और उद्योग के बीच प्रभावी सहसंबंध बना कर वाणिज्यीकरण की ओर ले जाने का है। सीआरएस (संविदा अनुसंधान और सेवा योजना) के माध्यम से बाइरैक द्वारा देश भर के शैक्षिक संस्थानों को उद्योग द्वारा सत्यापन और रूपांतरण के माध्यम से अनुसंधान कार्यों को अग्रेषित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

अनुदान के रूप में निधिकरण शिक्षा जगत और औद्योगिक भागीदारों को दिया जाता है। उद्योग सत्यापन भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और एक संविदात्मक आधार पर नियुक्ती करता है, जबकि आईपी अधिकार केवल शैक्षिक भागीदार के पास होता है।

योजना का समग्र लक्ष्य शैक्षिक अनुसंधान के सत्यापन को सक्षम बनाना है जिसमें वाणिज्यीकरण की संभाव्यता है और यह प्रक्रम या प्रोटोटाइप के सत्यापन के लिए संविदा अनुसंधान और विनिर्माण (सीआरएएमएस) उद्योग को संलग्न करता है। ये सत्यापन अन्वेशक से लेकर छोटे पैमाने या बड़े पैमाने तक हो सकते हैं।

चार आमंत्रण दिए गए हैं। अब तक 84 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें 88 शैक्षिक तथा 84 औद्योगिक भागीदार हैं। बहुत अधिक सावधानी से चयन करने के बाद 7 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें 9 शिक्षा और 7 औद्योगिक भागीदार शामिल है।

सामरिक गठबंधन निर्माण

क) डीबीटी–बाइरैक–गेट्स फाउण्डेशन

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और गेट्स फाउण्डेशन ने विकासशील देशों की संयुक्त वैश्विक स्वास्थ्य और विकास जरूरतों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत दुनिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य और विकास मामलों को दूर करने के लिए सहयोगात्मक वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को भारत के लोगों तथा दुनिया भर अन्य विकासशील देशों के लोगों के लाभ के लिए 5 वर्ष की अवधि तक समर्थन दिया जाएगा। इसे कार्यान्वित करने के लिए बाइरैक ने एक कार्यक्रम प्रबंध इकाई स्थापित की है, जो परिवार स्वास्थ्य और पोषण, संक्रामक रोग तथा कृषि में संयुक्त परियोजनाओं के निष्पादन, प्रबंधन और वित्तीय निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह पीएमयू और अन्य गतिविधियां डीबीटी तथा गेट्स फाउण्डेशन द्वारा संयुक्त रूप से निधिकृत की जाती हैं। बाइरैक द्वारा "कृषि और पोषण के माध्यम से स्वास्थ्य वृद्धि प्राप्त करने" के क्षेत्र में प्रस्तावों का प्रथम आमंत्रण घोषित किया गया है।

ख) बाइरैक द्वारा समर्थित क्लिनिकल परीक्षणों के प्रबंधन के लिए सीडीएसए के साथ भागीदारी

बाइरैक के निधिकरण कार्यक्रम में उत्पाद विकास चक्र के दौरान क्लिनिकल परीक्षणों को समर्थन दिया जाता है। क्लिनिकल परीक्षणों के लिए विशेष प्रकार की सेवाओं, प्रोटोकॉल डिजाइन, नियामक पालन और क्लिनिकल डेटा की निगरानी की आवश्यकता होती है। बाइरैक ने सीडीएसए के साथ मिलकर क्लिनिकल परीक्षण प्रबंधन में बाइरैक की क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए एक भागीदार के रूप में करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नेटवर्किंग और क्षमता निर्माण

बाइरैक ने निजी क्षेत्र और उनके सार्वजनिक भागीदारों से प्रतिक्रिया का स्तर बढ़ाने के लिए आवधिक जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

- **विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन** (डब्ल्यूआईपीओ) के साथ आईपी प्रबंधन पर प्रशिक्षक कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई में किया गया।
- राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर, श्री माता वैष्णोदेवी विश्वविद्यालय, जम्मू और डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़ में **बौद्धिक संपत्ति, तकनीकी प्रबंधन और उद्यमशीलता** पर तीन सुग्राहीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इन कार्यशालाओं का आयोजन राज्य बायोटेक नीति, उत्पादक विश्वविद्यालय और कुछ उद्यमशील गतिविधि/संभावना के संदर्भ में सोच समझकर तय किए गए स्थानों पर किया गया था। कार्यशाला में लिए गए विषय आईपी और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, पेटेंट खोज कार्यनीति, लाइसेंसिंग के मुद्दों, उद्यमशीलता और जैविक विविधता आदि से संबंधित थे, जो भौगोलिक स्थान की आवश्यकता पर निर्भर थे।
- बोस्टन यूनिवर्सिटी, यूएस के दुनिया भर में जाने माने प्रौद्योगिकी प्रबंधन विशेषज्ञ **डॉ. एशले स्टिवेंस द्वारा बायोटेक क्षेत्र के लिए तकनीकी लाइसेंसिंग**, मूल्यांकन और अधिग्रहण पर कार्यशाला का आयोजन फरवरी 2013 में दिल्ली तथा बंगलौर में किया गया। इन कार्यशालाओं का लक्ष्य प्रतिभागियों को तकनीकों के प्रबंधन, उनके प्रभावी निपटान, लाइसेंसिंग, मूल्यांकन और वाणिज्यीकरण तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु कार्यनीतियों के लिए आवश्यक विभिन्न कौशलों से सीखने का प्रशिक्षण देना था।

- **बाइरैक–सीडीएसए विनियामक बैठक: नई दवाओं के लिए भारतीय विनियमन में स्पष्टता लाना**

बाइरैक ने नई दिल्ली में 11–12 फरवरी 2013 के दौरान "नई दवाओं के लिए भारतीय विनियमन में स्पष्टता लाना" पर दो दिवसीय विनियामक कार्यशाला का आयोजन क्लिनिकल डेवलपमेंट सर्विस एजेंसी (सीडीएसए) के सहयोग से किया।

यह कार्यशाला बाइरैक–सीडीएसए द्वारा आयोजित एक फोरम था, जिसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर), शैक्षिक संस्थानों और नई दवाओं के विकास में संलग्न उद्योगों के मिलजुल कर कार्य करने हेतु आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का लक्ष्य भारत में नई दवाओं के अनुमोदन को अभिशासित करने वाले विनियमों के मुख्य पक्षों पर प्रत्यक्ष, संगत और मूल्यवान सूचना प्रदान करना था।

विनियामक कार्यशाला इन मुद्दों पर केंद्रित की गई (क) भारतीय विनियमों पर अपडेट (ख) भारत में मार्गदर्शन और कानून (ग) औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम को समझना (घ) विनियामक और वैज्ञानिक आवश्यकताओं सहित आईएनडी जमा करने का प्रारूप और सामग्री (ङ) पूर्व–चिकित्सा और चिकित्सा दस्तावेजों की आवश्यकता, (च) आईएनडी/नई दवा की समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया, नई दवा / आईएनडी का अनुमोदन पाना और भरने में वास्तविक समय का अनुभव।

अनुदान लेखन जागरूकता गोष्ठियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया जिसमें बड़े शहरों में उद्योग और सार्वजनिक अनुसंधानकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही।

प्रौद्योगिकी अंतरण और अधिग्रहण

बाइरैक द्वारा एक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप शैक्षिक अनुसंधान कार्यों तक पहुंच प्रदान करना, शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान सुनिश्चित करना एवं ऐसी आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करना जो उद्योग को कठिनाईयों से उभरने में सहायता देती हैं।

बाइरैक बायोटेक उद्योगों तथा शैक्षिक संस्थानों के साथ कार्यरत है और आयोजित अनुसंधान विकास पर बारीकी से नजर रखता है। इस प्रक्रिया के भाग में नवाचार अनुसंधान में संलग्न संगठनों के ज्ञान और प्रौद्योगिकियों का मानचित्रण शामिल है तथा बाइरैक ने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रौद्योगिकी मानचित्रण कार्य आरंभ किए है, खास तौर पर जिन्हे बाइरैक और डीबीटी से प्रमुख निधि मिलती है। बाइरैक की संकल्पना सार्वजनिक निधिकृत प्रौद्योगिकी को वाणिज्यीकरण हेतु उद्योग में अंतरित करने के लिए एक योजना बनाने की है।

राष्ट्रीय या वैश्विक रूप से नई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण के लिए बाइरैक की योजना प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि आरंभ करने की है। इससे सार्वजनिक लाभ के लिए नए और वहनीय उत्पादों के विकास की प्रौद्योगिकिया लाई जाएगी। विदेशों से अंतरित (राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय रूप से) या अधिग्रहण की गई प्रौद्योगिकी के लिए बाइरैक एक कठोर श्रम साध्य प्रौद्योगिकी जांच करता है और भारत के लिए इसकी सार्थकता और लाभ ज्ञात करता है, जो भारत में इस प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण से प्राप्त होंगे।

बाइरैक ने कार्डियोवेस्कुलर दवाओं, शिशु देखभाल प्रणालियों के प्रौद्योगिकी अंतरण पर चर्चा की है तथा केले के जैव संपुष्टिकरण के लिए क्वींस लैण्ड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया से औपचारिक प्रौद्योगिकी अधिग्रहण किया गया है।

आईपी और कानूनी प्रकोष्ठ नीति तथा विश्लेषण

क) आईपी समर्थन: भारतीय बायोटेक नवाचार के सुरक्षा

बाइरैक में आंतरिक आईपी प्रकोष्ठ द्वारा आईपी के विभिन्न पक्षों (लैण्डस्केपिंग, पेटेंट फाइलिंग, प्रचालन की स्वतंत्रता) पर आरंभ होने वाली कंपनियों और एसएमई को समर्थन दिया जाता है। बाइरैक द्वारा प्रस्तावों के व्यापक आईपी मूल्यांकन किए जाते हैं जो बीआईपीपी, सीआरएस, एसबीआईआर और बिग जैसे महत्वपूर्ण निधिकरण कार्यक्रमों को भेजे जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं सहित सहयोगात्मक परियोजनाओं में अनेक आईपी मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान की जाती है।

बाइरैक ने मुंबई के ऊर्जा जीव विज्ञान केंद्र डीबीटी–आईसीटी में एक आईपी प्रबंधन और प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण (आईपीएम–टीसी) इकाई स्थापित की है। और यह विभिन्न संस्थानों में ऐसे अन्य केंद्र स्थापित करने का इच्छुक है जो स्थानीय परिवेश में सक्षम आईपी सेवाएं प्रदान कर सकें।

आईपी प्रकोष्ठ द्वारा आईपी के विभिन्न पक्षों पर अनेक क्षमता निर्माण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती है।

ख) कानूनी सलाहकार सहायता

बाइरैक के कानूनी और संविदा प्रकोष्ठ द्वारा संगठनों के सभी कानूनी कार्यों और इसके कार्यक्रमों सहित विभिन्न अनुसंधान निधिकरण योजनाओं के सूत्रण और निष्पादन, प्रौद्योगिकी अंतरण, लाइसेंस करारों, संविदा अनुसंधान, बाइरैक और इसके भागीदार संगठनों के बीच समझौता ज्ञापनों के लिए आवश्यक उचित परिश्रम कार्य किए गए। इस प्रकोष्ठ द्वारा मामला दर मामला आधार पर उद्योग की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हे समर्थन दिया जाता है।

कानूनी और संविदा प्रकोष्ठ संबंधित मुद्दों पर राय व्यक्त करता है तथा कंपनी को सहायता, संघ, प्रौद्योगिकी अंतरण, उद्योग और शिक्षा जगत आदि के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रमों के विभिन्न पीपीपी मॉडलों के टेम्पलेट का मानकीकरण किया गया है।

ग) नीति और विश्लेषण प्रकोष्ठ: साक्ष्य आधारित कार्यनीति से नीति निर्धारण

बाइरैक का आंतरिक और विश्लेषण प्रकोष्ठ बायोटेक उद्योग से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण करता है एवं संगठन के अंदर और पणधारियों को सलाह देना का आधार बनाने वाले कार्यनीतिक निर्णय को लेने की प्रक्रिया की सूचना देता है। नवीनतम बाजार और उद्योग रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और यह जानकारी संगत विशेषज्ञों को दी जाती है। यह प्रकोष्ठ ऐसे अनेक प्रस्तावों पर तकनीकी–आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने में संलग्न है जो बाइरैक के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए प्राप्त होते हैं।

नीति निर्माण आधारित साक्ष्य के भाग के रूप में, बाइरैक नीति निहितार्थों के बारे में चर्चा के अनेक दौर और विचार मंथन के सत्र आयोजित करता है। आयोजित की गई कुछ चर्चाएं इस प्रकार है

- कार्यनीतिक और नीतिगत बैठकें तथा नैनो विशालता मार्गदर्शी सिद्धांतों के विषय में चर्चा
- फार्मा क्षेत्र में एफडीआई
- कृषि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए मूल संरचना आवश्यकताएं
- औद्योगिक एजाइम, चिकित्सा युक्तियां और इन्क्लाट
- जैव–विनिर्माण

इस बृहत परामर्श प्रक्रिया के आधार पर बाइरैक ने अंतरालों और चुनौतियों को अभिज्ञात किया तथा ऐसी योजनाओं का सूत्रण किया जिनका लक्ष्य अभिज्ञात चुनौतियों के समाधान प्रदान करना है।

बाइरैक के अंदर एक माध्यमिक कृषि नवाचार प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ द्वितीयक कृषि उद्योग, खास तौर पर एसएमई के विकास की सुविधा की खोई हुई कड़ी प्रदान करता है। यह स्वतंत्र द्वितीयक उत्पादक और प्रक्रम कर्ता प्रदान करता है जो सफल मूल्य वर्धित कृषि उद्यमों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सूचना रखते है।

बाइरैक 3आई पोर्टल–सूचना प्रौद्योगिकी

डॉ. रेणु स्वरूप, प्रबंध निदेशक, बाइरैक ने श्री जे सत्यनारायण, सचिव, डीईआईटीवाय, भारत सरकार से स्मार्ट शासन में भारत में सर्वोत्तम योग्यता क्रम में रहने के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त किया।

"बाइरैक 3आई पोर्टल" सभी निवेश योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विकसित एक समर्पित पोर्टल है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी), लघु व्यापार नवाचार अनुसंधान प्रयास (एसबीआईआरआई), संविदा अनुसंधान और सेवा (सीआरएस) योजना तथा बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (बिग) की योजना शामिल है। बीआईपीपी/एसबीआईआरआई, सीआरएस और बिग के लक्षित लाभार्थी क्रमशः उद्योग, शिक्षा जगत और व्यक्ति/युवा उद्यमी है। बाइरैक द्वारा घोषित की गई सबसे पहली योजना बीआईपीपी थी (अर्थात उस समय यह एक कार्यक्रम के रूप में बीआईआरएपी के नाम से चलाई जा रही थी)। बीआईपीपी के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत फरवरी 2010 में की गई थी। वर्तमान में यह योजना बाइरैक की चारों योजनाओं की पूर्ति करती है।

नवाचार बैठक

डीबीटी–बाइरैक 15–16 अक्टूबर, 2012 को मानेसर, गुड़गांव, में डीबीटी–बाइरैक नवाचार की बैठक आयोजित की गई जिसमें शिक्षा उद्योगों, प्रमुख हितधारकों और नीति निर्माताओं से 180 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस विचार–विमर्श किया गया। उद्योग भागीदारी योजना और परियोजनाओं की नैदानिक निगरानी के विश्व बैंक मॉडल पर भी विचार–विमर्श किया गया। यह सभी नवाचारों के लिए बैठक करने, नेटवर्क बनाने और साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने के साथ–साथ तकनीकों के प्रदर्शन हेतु उत्कृष्ट मंच था।

डॉ रेणु स्वरूप, प्रबंध निदेशक, बाइरैक, डॉ एम के भान, अध्यक्ष, बाइरैक, प्रो. जी मदमनाभन, आईआईएससी, डॉ. पूर्णिमा शर्मा, प्रबंध निदेशक, बीसीआईएल इनोवेटर्स मीट 2012 में संकलन जारी करने के अवसर पर।

बाइरैक इनोवेटर्स मीट 2012 में आमंत्रित अतिथि

संस्थापना दिवस

बाइरैक में 20 मार्च 2013 को प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भव्य चुनौती बैठक का भी आयोजन किया गया था। इसमें 400 से अधिक वैज्ञानिकों, उपक्रमों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। 'नवाचार प्रेरित जैव तकनीक उद्यम के विकास का उत्प्रेरण–पर विचार–विमर्श किया गया।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री जय पाल रेड्डी और प्रो. के विजयराघवन, अध्यक्ष बाइरैक दीप जलाते हुए

प्रथम स्थापना दिवस पर अतिथि

भावी की ओर दृष्टी

बाइरैक का उद्देश्य उन उच्च जोखिम परियोजनाओं, जिनमें व्यावसायीकरण की संभावना है, के पोषण की अनूठी विधियों का प्रयोग करते हुए एक गतिशील संगठन बनना है। बाइरैक स्वयं को नवाचार संचालित अनुसंधान के वित्तपोषण और प्रोत्साहन करने वाला संगठन बनना चाहेगा और इसका उद्देश्य न केवल एक सेवा प्रदाता बल्कि सुसाध्यकारक की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है।

वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढोत्तरी विकास कर रहा है। तथापि, इस क्षेत्र को निरंतर सहायता की आवश्यकता है, विशेष रूप से, शुरूआत और एसएमई के लिए। सही सहायता के होते हुए, इस क्षेत्र द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान और 2025 तक संभवत: राजस्व में 100 अरब डॉलर को छूने एवं इस प्रकार, सच्ची भारतीय जैव–अर्थव्यवस्था की स्थापना का पूर्वकथन किया गया है। बाइरैक ने अपने संक्षिप्त इतिहास में अपने हितधारकों के विश्वास को सुरक्षित करने में सफल रही है। यह विश्वास संगठन के लिए बेहद मूल्यवान है और यह जैव अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए अपने प्रयासों को दोहरा करने के लिए संगठन को प्रेरित करता है।

बाइरैक ऐसे कुछ कार्यक्रमों को शुरू, कार्यान्वित और प्रदान कर अपने हितधारकों के साथ अधिक कनेक्ट की परिकल्पना करता है जो अंतराल को पाटते है और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रेरित करने में मदद करते हैं।

बाइरैक ऐसी नए मार्ग और तकनीकों को समझने का प्रयास करेगा जो भविष्य में आरएनएआई, मैटाजीनोमिक्स, आणविक सहायता चयन (एमएएस), मार्ग इंजीनियरिंग और हरित रसायन, एम–हैल्थ और स्मार्ट उपकरणों और निदान को प्रभावित करेगी।

बाइरैक भविष्य में शुरू करने वाले योजनाएँ कुछ निम्नलिखित है

क) उत्पादों के लिए सामाजिक नवाचार कार्यक्रम: स्वास्थ्य के लिए सस्ते और प्रासंगिक (स्पर्श): करोड़ों लोगों के जीवन को छूता हुआ

बाइरैक का जनादेश, विशेष रूप से "समाज के सबसे बड़े वर्ग की जरूरतों को पूरा करने" का विजन जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद विकास के सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) में कई चुनौतियां खड़ी हैं जिनके लिए किफायती उत्पादों और प्रक्रियाओं की जरूरत है जिससे भारत और ऐसी भौगोलिक स्थितियों पर तत्काल प्रभाव पड़ सकता है जिनमें समान स्वास्थ्य परिदृश्य देखे गए हैं। इस संबंध में, बाइरैक ने "स्पर्श करोड़ों लोगों की जिंदगी को छूना" के शुभारंभ की घोषणा कि जिसमें इसके पहले विषय के रूप में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य वाले समाज की भलाई के लिए सामाजिक नवाचार और जैव प्रौद्योगिकी का संयोजन किया गया।

स्पर्श का उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ऐसे किफायती उत्पाद के विकास की दिशा में उम्दा नवाचारों की पहचान करना और सहायता प्रदान करना जिनसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव हो और समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- ऐसे जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद नवाचारों (सामाजिक लक्ष्य वाले) के प्रभाव वित्तपोषण के रूप में सहायता प्रदान करना जिन्हें मापा जा सके।
- जैव प्रौद्योगिकी में सामाजिक नवाचारों का पूल सृजित करना एवं उसका पोषण करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना, सामाजिक नवाचार और नेटवर्क में व्यापार मॉडल की जटिलताओं को समझना।

ख) बाइरैक उद्योग प्रायोजित अनुसंधान

बाइरैक उद्योग प्रायोजित अनुसंधान, जनहित के लिए उत्पाद विकास हेतु केंद्रीय नई प्रौद्योगिकियों के विकास और वितरण (सामाजिक लक्ष्य वाले) में भारतीय जैव तकनीक उद्योगों को पेश आ रही खास अनुसंधान आधारित तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने की योजना है। इस योजना का मुख्य फोकस भारतीय बायोटेक उद्योगों को पेश आ रही प्रौद्योगिकी बाधा दूर करते हुए उत्पाद विकास के लिए आवश्यक अभिनव, व्यावसायिक व्यवहार्य, सस्ता और विक्रेय समाधान खोजने के लिए किसी एक शैक्षिक संस्थान या शैक्षिक संस्थान समूह को शामिल करना है। इसका वित्त पोषण बाइरैक और उद्योग द्वारा, शैक्षिक संस्थानों को संयुक्त रूप से दिए गए अनुदान के रूप में होगा।

ग) विश्वविद्यालय इनोवेशन क्लस्टर

बाइरैक ने राष्ट्रीय अभिनव परिषद के साथ, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं से सहयोग की सहायता से विश्वविद्यालय नवाचार क्लस्टर की स्थापना के लिए विवरण तैयार कर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के लिए विश्वविद्यालय इनोवेशन क्लस्टर का फोकस उन विश्वविद्यालयों पर होगा, जहां जैव प्रौद्योगिकी सहयोग और तत्संबंधी नवाचार के लिए अनुकूल माहौल मौजूद हो और जहां उद्योग सहित सभी हितधारकों में एक–दूसरे के साथ तालमेल बिठाया जा सके। इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में एक उद्यमी संस्कृति का सृजन करना और छात्रों को अपने नवीन विचारों की जांच करने और उन्हें अवधारणा के प्रमाण प्रदान करना है।

घ) बाइरैक अनुवाद सुविधाएं

जैव उत्पादों, जैव प्रक्रियाओं और नई प्रौद्योगिकियों का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान और व्यावसायीकरण, दोनों के लिए एक मजबूत अवसंरचना तैयार करने की जरूरत है। अनुसंधान को उत्पादों में बदलने के लिए, अवधारणा का प्रमाण स्थापित करना और औद्योगिक परिस्थितियों में इसका परीक्षण करना महत्वपूर्ण चरण है। औद्योगिक प्रक्रियाओं के विकास और परीक्षण, और इस प्रकार लीड टाइम और निवेश, दोनों को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास के चरण के दौरान स्केल–अप और प्रायोगिक अवसंरचनाओं तक पहुंच होना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर की ऐसी सुविधा की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसका इस्तेमाल सत्यापन और परीक्षण के अगले चरण में जाने के लिए अपने अनुसंधान लीड्स स्टार्ट अप, एसएमई और सार्वजनिक क्षेत्र के शोध से मूल्यांकन किया जा सके।

बाइरैक संचालन के साझेदारी और सह–प्रशासन मॉडलों में अंतराल अनुसंधान की सुविधाएं स्थापित करने पर विचार करेगा।

मानव संसाधन

चूंकि, बाइरैक देश में एक अलग किस्म का संस्थान है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास का पोषण और इसमें सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है, सफल और प्रभावी कार्य के लिए, इसे बहुत विशेष और अद्वितीय प्रशासन संरचना की आवश्यकता है। इसलिए, एक विशिष्ट संरचना विकसित की गई है। यह संरचना संगठन के अभियान, विजन और उद्देश्यों के अनुरूप और प्रमुख हितधारकों के साथ विचार–विमर्श के बाद प्रस्तावित की गई है।

यह संरचना प्रभावी कार्य की व्यवस्था करती है जबकि इसमें फोकस बाइरैक की प्रमुख गतिविधियों और उन क्षेत्रों पर होगा जिनमें संगठन की भविष्य में विस्तार की योजना है।

मानव संसाधन, कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक विशेष कौशलों के मद्देनजर, बाइरैक का सर्वाधिक मूल्यवान घटक है। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, बाइरैक ने अपने निदेशक मंडल के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए एक अनुबंध कैरियर मार्ग तैयार किया है जिनके भीतर कार्यात्मक खिताब प्रदान किए गए हैं।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय विवरण, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार, ऐतिहासिक लागत नियमों के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन विधि के आधार पर तैयार किया जाता है।

सूचना का अधिकार

बाइरैक सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक प्रविधियों और प्रक्रियाओं का पालन करती है।

आचार संहिता

बाइरैक ने डीपीई दिशा निर्देशों और सरकार आचार संहिता नियमावली के अनुसार निदेशक मंडल एवं कर्मचारियों की आचार संहिता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार किया है।

निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के तहत अपेक्षित है, निदेशकों ने कहा कि

- वार्षिक खातों को बनाते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- चयनित और प्रयुक्त लेखांकन नीतियां अनुरूप हैं और लिए गए निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों और इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ की सच्ची और वास्तविक स्थिति का पता चले।
- कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखा रिकार्ड बनाए रखने में उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- वार्षिक लेखा, चालू विषय के आधार पर तैयार किया गया है।

कार्पोरेट प्रशासन

इस रिपोर्ट के साथ कार्पोरेट प्रशासन पर एक अलग रिपोर्ट संलग्न है।

अंकेक्षक रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में समीक्षाधीन अवधि के लिए मैसर्स संपकें एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षकों/सीएजी के प्रेक्षणों के संबंध में टिप्पणी निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में दी गई है और स्वतः स्पष्ट है और लेखा पर विभिन्न नोट्स में उपयुक्त तरीके से स्पष्ट किया गया है।

बैंकर्स

बैंकर्स हैं

- कॉर्पोरेशन बैंक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003

कर्मचारियों का विवरण

कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975, यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2) के तहत निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक पारिश्रमिक आहरित नहीं कर रहा है।

निदेशकों के बारे में

बाइरैक के निदेशक मंडल में प्रख्यात वैज्ञानिक और वैज्ञानिक क्षेत्र, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, शिक्षा, उद्योग और सरकारी एजेंसियों से पेशेवर शामिल है।

कंपनी के पहले अध्यक्ष, तत्कालीन सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, प्रो एम के भान थे, और पहली प्रबंध निदेशक, डॉ रेणु स्वरूप, सलाहकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग थी।

प्रो एम के भान की अधिवर्षिता 30.11.2013 को थी और डॉ. टी रामासामी, जिन्होंने सचिव, डीबीटी का कार्यभार संभाला ने 01.12.1012 से 27.01.2013 तक अध्यक्ष का प्रभार ले लिया है। प्रो के विजय राघवन, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अब 28.01.2013 से कंपनी के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सरकार ने बाइरैक के लिए निम्नलिखित चार स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चार निर्देशकों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रभावी तिथि 25.06.2013 है।

- प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला, प्रोफेसर, आईआईटी, चेन्नई
- डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जठरांत्र विज्ञान विभाग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
- प्रोफेसर दीपक पेंटल, प्रोफेसर, जेनेटिक्स विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- डॉ. दिनकर मशनू सालुन्के, कार्यकारी निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र।

चार निदेशकों के शामिल होने की प्रभावी तिथि 25.06.2013

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और खर्च

कंपनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और खर्च की जानकारी देने वाला विवरण इस प्रकार है

क ऊर्जा संरक्षण,

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ख. प्रौद्योगिकी अंगीकार कराना और नवाचार

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के अनुसार अनुसरण में संबंधित नियम के फार्म बी के तहत आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है क्योंकि कम्पनी अनुसंधान और विकास संबंधी कोई कार्यकलाप नहीं करती। तथापि, कंपनी का मुख्य कार्य बायोटेक उद्योग में नवाचार अनुसंधान को सहायता प्रदान करना और अनुसंधान के सभी स्थानों में उद्यमशीलता को अपनाने और हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और खर्च

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और खर्च नीचे दिए गए है

दान के रूप में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह	शून्य
विदेशी मुद्रा बहिर्वाह	
ए डेटाबेस अंशदान	रु. 16,53,789/–
बी कर्मचारियों द्वारा विदेशी यात्रा	रु. 16,371/–

पावती

निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, बैंकों, और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनकी सराहना की। निदेशकों कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के लिए भी उनकी सराहना की।

स्थान नई दिल्ली
दिनांक 11 सितम्बर,2013

कृते और की ओर से
प्रो. के विजय राघवन, अध्यक्ष

birac
Ignite Innovate Incubate

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

(2012–13 निदेशक रिपोर्ट का अंश)

औद्योगिक संरचना और विकास

बाइरैक 20 मार्च 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के भार 25 गैर–लाभ वाली कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया है। यह एक अद्वितीय संगठन, देश में अपनी तरह का पहला संगठन है और वैश्विक मानकों को पूरे के लिए स्थापित किया गया है। कंपनी किफायती उत्पाद विकसित करने के लिए बायोटेक नवाचार पारिस्थितिकी–प्रणाली को बढ़ावा, पोषण और सक्षम करने के लिए अपेक्षित परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज, देश मे अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थागत ढाचे के सृजन, उसकी सहायता और उसे बरकरार रखने की अत्यावश्यकता है, जो न केवल उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण के प्रारंभिक चरण की खोज के लिए निवेश प्रदान करता है, बल्कि कुशल मानव ससाधन, अवसरचना और प्रासंगिक अनुसधान ससाधन के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण अतराल को सबोधित करता हो। बाइरैक ने जैव प्रौद्योगिकी उद्यम की जोखिम क्षमता मे बढोत्तरी कर और 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए नवाचार अनुसधान के विकास को उत्प्रेरित कर इन आवश्यकताओं को सबोधित किया।

सामर्थ्य और अवसर

चूंकि, बाइरैक देश मे एक अलग किस्म का संस्थान है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास का पोषण और इसमें सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है, सफल और प्रभावी कार्य के लिए, इसे बहुत विशेष और अद्वितीय प्रशासन सरचना की आवश्यकता है।

बाइरैक का मुख्य मिशन जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विकास एजेंसी के रूप मे काम करना और प्रतिस्पर्धी अनुदान एप्रोच या टॉप डाउन उत्पाद विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं की राष्ट्रीय जरूरतों का पता लगाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बाइरैक निजी, सरकारी और अंतरराष्ट्रीय समूहों के साथ साझेदारी में काम कर रहा है और इसके उद्देश्य निम्नलिखित है

- ऐसी सच्ची भारतीय जैव–अर्थव्यवस्था को आकार देना, निर्मित करना और विकसित करने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करना जो जैव–तकनीक को भारत की विकास गाथा को केन्द्रीय अवस्था में रखे, और ऐसी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है जो देश के सामने खड़ी है और अभिनव और सस्ते समाधान देने में मदद करता है।
- 'उद्यम निर्माताओं' की अगली पीढ़ी को प्रोत्साहन और पोषण द्वारा देश के जैव तकनीक क्षेत्र मे रूपांतरण परिवर्तन करना, जो ऐसे अभिनव जैव प्रौद्योगिकी के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में मददगार होंगे जिनसे देश की अधूरी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी चाहे इनका संबंध स्वास्थ्य से, कृषि से, जैव ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी से हो।
- एक सफल व्यावसायिक उत्पाद तैयार करने के लिए 'विचार व्युत्पत्ति और प्रायोगिक और आगे के चरणों पर कुछ बाधाओं जैसे प्रोटोटाइप से होते हुए इसकी यात्रा से नवाचार पाइपलाइन में निहित जोखिम को कम करना।
- जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों को अंतिम वाणिज्यिक उत्पाद के लिए उनके विचार लेने के लिए 360 डिग्री तंत्र प्रदान करना।
- जैव प्रौद्योगिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की अन्य मूलभूत संरचनाओं नामत जैव इन्क्यूबेटरों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उच्च तकनीकी मंच को सहायता प्रदान करना जिससे उन्नत तकनीकी उपकरणों तक पहुंच हो।
- उद्योग, शिक्षा और तीसरे क्षेत्र मे संबंधों के नए मॉडल बनाना और सभी हितधारकों के बीच परिचालित करने हेतु महत्वपूर्ण जानकारी की छिद्रित दोषपूर्ण सीमाओं का निर्माण करना। ऐसा करने के लिए बाइरैक स्वयं की गतिशील पारिस्थितिकी प्रणालियों अर्थात उद्योग, शिक्षा और तीसरे क्षेत्र में से प्रत्येक मे प्रतिच्छेदन की परिकल्पना करता है।
- शिक्षा में जैव उद्यमशीलता की भावना जगाना और शैक्षिक और सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान केन्द्रों के विस्तार में सक्षम बनाना।
- अपना जनादेश पहुंचाने मे समान रूप से व्यवस्थित संगठनों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का निर्माण करना।

जोखिम और प्रशासन

बायोटेक सेक्टर के लगभग 20 प्रतिशत का स्थिर विकास सामर्थ्य का संकेत है, जिससे इस क्षेत्र को 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डालर के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। तथापि, इसकी पूर्ण क्षमता के स्थायी विकास के लिए नवाचार प्रणाली का सृजन अपेक्षित है, जिसके लिए बाइरैक प्रयासरत है। बाइरैक इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि छोटे उद्यमों

को संवेदी "मौत की घाटी" से होकर गुजरने के लिए अधिकतम सहायता अपेक्षित है, जहा उच्च जोखिमपूर्ण अनुसधान व विकास गतिविधियों के कारण असफलता की अधिक गुजाइश है।

अत बाइरैक इसे ध्यान में रखता है और विचार से उत्पाद की खोज से, नवाचार पाइपलाइन में अंतर्निहित जोखिम को कम करने की कई योजनाए शुरू की है। बाइरैक की योजनाए और गतिविधिया आवश्यक नीव सरचना को सहायता प्रदान करती है और इसके अतिरिक्त, विचार से उत्पाद के इस सफर को सुसाध्य बनाने हेतु 360 डिग्री का तत्र भी प्रदान करता है।

सचालन क्षेत्र

बाइरैक ऐसा सगठन है जिसके जनादेश का समर्थन करने के लिए 4 अद्वितीय कार्यक्षेत्र है

- स्वय उच्च जोखिमपूर्ण, उच्च नवाचार परियोजनाओ और कई साझेदारों की ओर से नवाचार मूल्य श्रृखला यथा आरभिक चरण का नवाचार अनुसधान, उत्पाद विकास, उत्पाद मान्यीकरण और व्यावसायीकरण के परामर्श और वित्तपोषण द्वारा पोषण।
- सरकारी निजी साझेदारी नवाचार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन और सहायता देना।
- परियोजना प्रबधन और अन्य नवाचार सहायता सेवाए प्रदान करना, विशेष रूप से, नियामक उत्पाद मूल्याकन के लिए।
- उद्योग के लिए आवश्यकता आधारित अनुसधान और नवाचार सेवाओं हेतु, अतर को पाटने के लिए, कार्यनीतिक गठबधन निर्मित करना, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए।

यह सरकार द्वारा भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने की एक अनूठी पहल है।

बाइरैक उद्योग–शिक्षा का नया मिलन–स्थल है और बहुत से प्रभाव उपयों के माध्यम से अपने जनादेश का कार्यान्वयन करता है जैसे लक्षित वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तातरण, आईपी प्रबधन और सहायता–समर्थन स्कीमो के माध्यम से जोखिम पूजी को पहुच के भीतर लाना जिससे जैव प्रौद्योगिकी कपनियों में नवाचार उत्कृष्टता लाने और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। अपने अस्तित्व के पहले वर्ष में, बाइरैक ने ऐसी कुछ योजनाओं, नेटवर्कों और मचों की शुरूआत की है जिससे उद्योग–शिक्षा नवाचार अनुसधान में वर्तमान अतराल को पाटने और उन्नत तकनीकों के माध्यम से नवीन, उच्च क्वालिटी के सस्ते उत्पाद तैयार करने को सुसाध्य बनाने में मदद मिलेगी। बाइरैक ने जनादेश की मुख्य विशेषताओं में सहयोग करने और उन्हें साकार करने के लिए कई राष्ट्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ भागीदारी की है।

गतिविधियां सुनिश्चित करना–बाइरैक निवेश योजनाएं

नए विचारों को जन्म देना–बायोटेक इग्निशन अनुदान योजनाएं (बिग)

- इस योजना की जून, 2012 में 3 बिग साझेदारों आईकेपी नॉलेज पार्क, हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एण्ड मॉलिक्यूलर प्लेटफार्म्स के लिए केंद्र (सी कैम्प) नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तातरण फाउंडेशन (एफआईआईटी), नई दिल्ली की साझेदारी में घोषणा की गई।
- प्रथम पीढ़ी और पहली शुरूआत करने वालों द्वारा उच्च जोखिमपूर्ण नवाचार की खोज और अवधारणा के प्रमाण के लिए 50 लाख (100,000 अमेरिकी डॉलर) की सहायता प्रदान करना।
- 2 आमंत्रणों की घोषणा की गई, 269 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और लगभग 50 बड़े नवाचारों को सम्मानित किया गया।

उच्च जोखिमपूर्ण नवाचार की खोज के लिए उद्योग के साथ भागीदारी–जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) और लघु व्यापार नवाचार अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई)

- योजना में खोज से पूर्व व्यावसायीकरण तक, तकनीक के मान्यीकरण की अवधारणा के प्रमाण तक उच्च जोखिम, नवाचार अनुसधान के लिए सहायता का प्रावधान है।
- बीआईपीपी के तहत, 28 कॉल की घोषणा की गई, लगभग 800 परियोजनाए प्राप्त हुई, 112 परियोजना को मजूरी दी गई और 93 उद्योगों (16 प्रथम बार और 60 एसएमई) और 28 शैक्षणिक भागीदारों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- एसबीआईआरआई के तहत, 22 कॉल की घोषणा की गई, 1200 परियोजनाएं प्राप्त हुई, 140 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिनमें 100 से अधिक कपनिया शामिल थीं। कुछ कीर्तिमान निम्नानुसार है
  - 3 नई दवाएं परीक्षण के द्वितीय और तृतीय चरण में हैं।
  - एक प्वाइंट ऑफ केयर नैदानिक उपकरण विकसित किया गया था।
  - ट्यूमर को पृथक के लिए निष्पादन प्रक्रिया के लिए डिवाइस बाजार में शुभारभ किया गया।
  - 3 टीके विकसित किए गए जापानी इन्सेफेलाइटिस–बाजार में, पैंडिपलू, टीएम, बाजार में, रोटावायरस–चरण तीन सफलतापूर्वक पूरा हो गया।
  - लिग्नोसैलुलोसिक्स इथेनॉल के उत्पादन 3000 लीटर/दिन का प्रायोगिक संयत्र लगाया गया।
  - ट्यूमर लाइसिस सिड्रोम के उपचार के लिए रिकंबिनेंट यूरिकेस विकसित किया गया।

- मलेरिया के लिए डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई।
- बांझपन के इलाज के लिए हार्मोन उत्प्रेरक रिकंबिनेंट फोलिकल विकसित किया गया।
- एड्स के लिए जैस सदृश उत्पाद के तौर पर रिकंबिनेंट फ्यूजन विकसित किया गया।
- किफायती आयात विकल्प के रूप में आरबीसी फिनोटाइपिंग किट विकसित की गई।

प्रौद्योगिकी मान्यता और विकास को सुसाध्य बनाना –अनुबंध अनुसंधान योजना (रीआरएस)

- योजना को उद्योग के मिलन स्थल के रूप में घोषित किया गया था; 3 कॉल का शुभारंभ किया गया, 84 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, 68 शैक्षणिक व 83 उद्योग भागीदार शामिल है, 7 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया, 9 शैक्षणिक एवं 7 उद्योग भागीदार शामिल हैं।

उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सशक्तीकरण

उद्यमियों और पहली बार शुरूआत करनेवाले लोगों के लिए विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन स्थान सृजित करना।

जल्दी पहली शुरूआत कंपनियों के लिए विश्वस्तरीय इनक्यूबेशन स्थान सृजित करने और इसे अपेक्षित सेवाओं व सुविधाओं में उपलब्ध कराने हेतु बाइरैक बायो–इनक्यूबेटर सशक्तीकरण योजना शुरू की गई। 12 बायो–इनक्यूबेटर स्थापित किए गए। सृजित 70,000 वर्ग फुट इनक्यूबेटर स्थान से 100 से अधिक इन्क्यूबेटर्स को लाभ होने की संभावना है।

पहली बार शुरूआत करनेवाले व्यक्तियों और अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने को सुसाध्य बनाने हेतु आम सेवा सुविधाओं का सृजन।

- प्रोटीन चिकित्सा और पेप्टाइड्स का उन्नत और कार्यात्मक लक्षण वर्णन–इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड। माइक्रोबियल एंटीजन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का बड़े पैमाने पर उत्पादन– एसपीएएन डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड।

सफल उद्यम विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण।

- जयपुर , जम्मू और डिब्रूगढ़ में "बौद्धिक संपदा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और उद्यमिता" पर 6 संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 332 ने भाग लिया, 249 शिक्षाविद और उद्योगों से 83 (पहली बार शुरूआत करनेवाले लोग, एसएमई और अन्य)।
- बंगलौर और नई दिल्ली में प्रो. एशले स्टीवन्स, अध्यक्ष, एसोसिएट ऑफ टेक्नोलाजी में क्लास सत्यापन, लाइसेंसीकरण और हस्तांतरण पर 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 149 लोगों ने भाग लिया, 72 शिक्षाविदों और उद्योग से 77 (पहली बार शुरूआत करनेवाले लोग, एसएमई और अन्य)।
- नई दिल्ली में "डिमिस्टिफाइंग इंडियन ड्रग रेगुलेशन्स फोर न्यू प्रोडक्ट एपूवल्स" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अभिग्रहण

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: केले का जैव–सुदृढ़ीकरण:

- बाइरैक ने भारत के केले के जैव–सुदृढ़ीकरण और रोग प्रतिरोध के संबंध में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलाजी (क्यूयूटी), ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है।
- बाइरैक इस रेखांकित अंतर्निहित जनहित के अनुसार शासी समझौता बनाने और उसके निष्पादन के लिए जैव

श्री माइकल फिन्नी, क्यूयूटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंपनी, ब्लू बॉक्स के सीईओ और डॉ रेणु स्वरूप, प्रबंध निदेशक, बाइरैक, करार पर हस्ताक्षर करते हुए

प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय वैज्ञानिकों का पहला जत्था क्यूयूटी में प्रशिक्षण के बाद आगे परियोजना लेने के लिए भारत वापस लौट आया है। भारत में सहयोगी उद्देशों का कार्यान्वयन "पांच भारतीय साझेदारों" द्वारा किया जा रहा है।

कार्यनीतिक गठबंधन बनाना

अंतरराष्ट्रीय लिंकेज का गठन

- **सस्ते उत्पाद बनाने के लिए डीबीटी –बाइरैक–गेट्स फाउंडेशन भागीदारी।**
- स्वास्थ्य देखभाल
- कृषि

बाइरैक को इस भागीदारी को आगे ले जाने और सहमत कार्य–योजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया है।

- **बाइरैक–डीबीटी–डब्ल्यूएचओ–पथ, महिलाओं एवं बच्चों के लिए सस्ती टेक्नोलॉजी पर रास्ता बहु–हितधारक संघ– कंसोर्शियम**–चर्चा का आयोजन किया और भविष्य की गतिविधियों के लिए 8 प्राथमिकता प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई थी। विवरण तैयार किया जा रहा है।

मौजूदा ताकत का इस्तेमाल–साझेदारी बनाना

- ज्ञान साझेदार के रूप में एबीएलई।
- क्लिनिकल ट्रायल संबंधी गतिविधियों के लिए सीडीएसए

उद्योग–शैक्षणिक अंतःक्रिया

- 15–16 अक्टूबर, 2012 को मानेसर, गुड़गाव, में डीबीटी–बाइरैक नवाचार की बैठक आयोजित की गई जिसमें शिक्षा उद्योगों, प्रमुख हितधारकों और नीति निर्माताओं से 180 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस विचार–विमर्श किया गया। उद्योग भागीदारी योजना और परियोजनाओं की नैदानिक निगरानी के विश्व बैंक मॉडल पर भी विचार–विमर्श किया गया।

डीबीटी–बाइरैक नवाचार को इस बैठक में निम्नलिखित कंपनियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए थे:

- **कृषि क्षेत्र:** बायोसीड रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमि., हैदराबाद और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली को चावल संकर में उनके योगदान के लिए।
- **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र:** स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज प्रा. लिमि. बंगलौर को हिपाटॉक्सिटी प्रेडिक्शन प्लेटफार्म (हैपटॉक्स) में उनके योगदान के लिए।
- **जैव चिकित्सा उपकरण, इम्प्लांट और निदान क्षेत्र:** परफिन्ट हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड, चैन्नई के नियोजन, निष्पादन और पुष्टि में उनके योगदान के लिए।
- **औद्योगिक प्रक्रिया और हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र:** प्लेीकन बायोटेक एंड केमिकल लेबोरेटरीज प्रा लिमि., आलपुझा, केरल को बायोकेमिकल्स को अलग करने की नवीन विधि और क्रूस्टेसियन एक्सोस्केलिटन से मूल्य वृद्धि उत्पादों के लिए। नव्य बायोलॉजीकल्स प्रा. लिमि., हुबली, कर्नाटक को कॉम्प्लैक्स प्रोटीन, पेप्टाइड्स और एमएबी के उत्पादन के लिए प्लेटफार्म प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए।

बाइरैक का प्रथम संस्थापना दिवस

बाइरैक में 20 मार्च 2013 को प्रथम संस्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भव्य चुनौती बैठक का भी आयोजन किया गया था। इसमें 400 से अधिक वैज्ञानिकों, उपक्रमों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

भावी की ओर दृष्टी

पहले वर्ष में खुद को स्थापित करने के बाद, बाइरैक अब अपने प्रमुख उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति की ओर फोकस होकर आगे बढ़ रहा है–किफायती उत्पाद विकास की राष्ट्रीय चुनौती का सामना करने के लिए कार्यनीतिक, उच्च जोखिम नवाचार अनुसंधान करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण और सशक्तीकरण।

आगामी वर्ष के दौरान बाइरैक निम्न का आरंभ करने का प्रयास करेगा

- बाइरैक सामाजिक अभिनव योजना
- बाइरैक उद्योग प्रायोजित अनुसंधान

बाइरैक द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों के विकास और सशक्तीकरण की दिशा में काम करता रहेगा, विशेष रूप से पहली बार आरंभ करने वाले व्यक्तियों और एसएमई के लिए निम्नलिखित द्वारा

- अनुसंधान की प्रगति को आगे ले जाने के लिए अंतरण सुविधाओं का सृजन
- सेवा सुविधाएं स्थापित करना, जो पहली बार आरंभ करने वाले व्यक्तियों और प्रारंभिक चरण उद्यमी की पहुंच में हो।
- प्रारंभिक चरण में नवाचार के पोषण और सस्ती उत्पादों के अंतरण को सुसाध्य बनाने के लिए बायोटेक एक्सेलरेटरों की स्थापना।

- महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में सस्ते नवाचार और उत्पाद विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पाद विकास भागीदारी बनाना।

बाइरैक "कनेक्टर और उद्दीपक" बना रहेगा

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के लिए अपने व्यवसाय के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप प्रणाली स्थापित की है। इस तरह की प्रणाली को उचित रूप से विलेखन किया गया है। गोपनीयता बनाए रखने और हितों में संघर्ष से बचाव सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट नीति है।

मानव संसाधन

चूंकि, बाइरैक देश में एक अलग किस्म का संस्थान है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास का पोषण और इसमें सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है, सफल और प्रभावी कार्य के लिए, इसे बहुत विशेष और अद्वितीय प्रशासन संरचना की आवश्यकता है। इसलिए, एक विशिष्ट संरचना विकसित की गई है। यह संरचना संगठन के अभियान, संकल्प और उद्देश्यों के अनुरूप और प्रमुख हितधारकों के साथ विचार–विमर्श के बाद प्रस्तावित की गई है।

यह संरचना प्रभावी कार्य की व्यवस्था करती है जबकि इसमें फोकस बाइरैक की प्रमुख गतिविधियों और उन क्षेत्रों पर होगा जिनमें संगठन की भविष्य में विस्तार की योजना है।

मानव संसाधन, कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक विशेष कौशलों के मद्देनजर, बाइरैक का सर्वाधिक मूल्यवान घटक है। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, बाइरैक ने अपने निदेशक मंडल के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए एक अनुबंध कैरियर मार्ग तैयार किया है जिनके भीतर कार्यात्मक खिताब प्रदान किए गए हैं। एक बिल्कुल अद्वितीय संगठनात्मक संरचना, अनुबंध कैरियर विकास मार्ग और मानव संसाधन नीति तैयार की गई है।

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी प्रशासन रिपोर्ट

कंपनी का दृढ़ विश्वास है और इसने निरंतर अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन किया है। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों से ही परिलक्षित होता है। कंपनी लगातार इन पहलुओं की बेहतरी की दिशा में प्रयासरत है और इस तरह से अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, अन्य संबंधित व्यक्तियों और पूर्ण समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य सृजित करता रहता है। निगमित प्रशासन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के अनुसार, कंपनी द्वारा अनुपालन का विवरण इस प्रकार है

निदेशक मंडल

बोर्ड में डीपीई दिशानिर्देश में दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप एक कार्यकारी अध्यक्ष और एक कार्यकारी प्रबंध निदेशक और कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का उपयुक्त गठन है। सभी निर्देशक, बोर्ड की प्रभावशीलता अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन को सुसाध्य बनाने और कंपनी की परिस्थितियों के संदर्भ में मूल्य वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और कौशलों से सुसज्जित है।

निदेशक मंडल में छह निर्देशक हैं और निदेशकों की रचना और श्रेणी नीचे दी गई है

नाम	श्रेणी	अन्य निदेशक पद	अन्य कंपनियों में कार्यकारित समिति सदस्यता की संख्या	बोर्ड की बैठकें जिनमें भाग लिया	पिछली एजीएम में उपस्थिति	टिप्पणी
प्रो. एम. के. भान	अध्यक्ष (अधिशासी)	शून्य	शून्य	19.04.12 25.07.12 24.09.12 29.11.12	लागू नहीं	कार्यालय 30.11.2012 को पूर्ण
डॉ. टी. रामासामी	अध्यक्ष (अधिशासी)	शून्य	शून्य	इस कार्यकाल में बोर्ड की कोई बैठक नहीं	लागू नहीं	कार्यालय 01.12.2012 से 27.01.2013 तक
प्रो. के. विजयराघवन	अध्यक्ष (अधिशासी)	01	शून्य	05.03.13	लागू नहीं	कार्यालय 28.01.2013 से
डॉ. रेणु स्वरूप	प्रबंध निदेशक (अधिशासी)	01	शून्य	19.04.12 25.07.12 24.09.12 29.11.12 05.03.13	लागू नहीं	
डॉ. दिनकर मश्रु सालुंके	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	25.06.2013 से कार्यालय

डॉ. भगतदीप काग	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	25.06.2013 से कार्यकाल
प्रो. दीपक पेंटल	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	25.06.2013 से कार्यकाल
प्रो. अशोक झुनझुनवाला	स्वतंत्र निदेशक	10	09	लागू नहीं	लागू नहीं	25.06.2013 से कार्यकाल

निदेशकों के और जिनमें बोर्ड बैठकों में भाग लिया, विवरण निम्नलिखित है

1.1 इस अवधि के दौरान, कंपनी की पांच बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई

1. 19/04/2012, 2. 25/07/2012, 3. 24/09/2012, 4. 29/11/2012 5. 05.03.2013,

1.2 बोर्ड में कोई भी निदेशक, उन सभी कंपनियों में, जिनका वे निदेशक हैं, पंद्रह से अधिक कंपनियों में निदेशक का पद नहीं था और कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है (जैसा खण्ड 49 में निर्दिष्ट है)। निदेशकों ने की समिति के पदों के संबंध में आवश्यक प्रकटन किए है।

1.3 कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशकों का कोई आर्थिक संबंधों या लेनदेन नहीं है।

1.4 31.03.2013 को समाप्त अवधि के लिए गैर कार्यकारी निदेशक की बैठक में शामिल होने का शुल्क–शून्य

बोर्ड प्रक्रिया

निदेशकों की बैठक, आम तौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। बोर्ड बैठकें आयोजित करने के लिए सांविधिक अपेक्षाएं कंपनी की नीति और व्यवहार के भीतर संकलित है। संविधि द्वारा बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता के मामलों के अलावा, वित्तीय परिणामों, वास्तविक संचालन, फीड बैक रिपोर्टों और बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखे जाते है।

आचार संहिता

बाइरैक ने डीपीई दिशा निर्देशों और सरकार आचार संहिता नियमावली के अनुसार और उसे पूरा करते हुए निदेशक मंडल और अन्य कर्मचारियों की आचार संहिता हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश स्थापित किए है।

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की सूचना

वर्ग कोड	शेयरधारक की श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की कुल सं.	शेयरों का कुल मूल्य (रु. में)	शेयरों की कुल सं. के प्रतिशत के रूप में कुल शेयरधारिता
प्रोमोटर की शेयरधारिता और प्रोमोटर समूह	भारत का राष्ट्रपति	3	10000	1,00,00,000	100
	कुल योग	3	10000	1,00,00,000	100

सामान्य निकाय की बैठक

पहली वार्षिक आम बैठक का स्थान और समय.

अवधि समाप्ति की तिथि	आयोजन स्थल	दिनांक	समय
31.03.2013	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर– ए/254, भीष्म पितामह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–24	30.09.2013	11.30 बजे

6. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष

बाइरैक को 20 मार्च 2012 को शामिल किया गया था। अत, इस रिपोर्ट के लिए वित्तीय वर्ष 20 मार्च 2012 से 31 मार्च, 2013 है। हालांकि कंपनी वित्तीय वर्ष का निम्नानुसार अनुसरण करती है– 1 अप्रैल से 31 मार्च तक

वित्तीय खाता

यह कंपनी की पहली वार्षिक रिपोर्ट है और पहली लेखा विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

- 2013–13 के दौरान कंपनी द्वारा लेनदेन का विवरण खाते पर नोट्स में दिया गया है और किसी भी पार्टी से संबंधित कोई भी कंपनी के हित के विरोध में नहीं है।
- कंपनी डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है। कंपनी पर विगत तीन वर्षों में पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई शास्ति अथवा पाबंदी नहीं लगाई गई है।
- पत्राचार के लिए पता. ए/254, भीष्म पितामह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024

अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए के अनुसार, कार्यकारी कंपनी के सचिव, मैसर्स अग्रवाल मनीष कुमार एंड कंपनी, नई दिल्ली से एक अनुपालन प्रमाणपत्र लिया गया है। प्रमाणपत्र, निदेशक रिपोर्ट का हिस्सा है।

पूर्णकालिक कार्यरत कम्पनी सचिव का अनुपालन प्रमाणपत्र

अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी की नैगम पहचान संख्या: यू73100डीएल2012एनपीएल233152
सांकेतिक पूंजी 1 करोड़ रु.

प्रति,

सदस्य,

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल

दिल्ली

हमने **बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल** (कंपनी) के रजिस्टरों, अभिलेखों, बहियों और कागजातों की जांच की है, जो 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं कंपनी की बहिर्नियमावली और ज्ञापन में निहित प्रावधानों के तहत बनाना आवश्यक है। हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई जांचों के अनुसार तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा कंपनी, इसके अधिकारियों और एजेंटों द्वारा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त कथित वित्तीय वर्ष के संदर्भ में:

1) कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के **अनुलग्नक 'क'** के अनुसार अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी रजिस्टर रखे हैं और उनका अनुरक्षण किया है तथा इसमें सभी प्रविष्टियां विधिवत दर्ज की गई हैं।

2) कंपनी ने इस प्रमाणपत्र के **अनुलग्नक 'ख'** के अनुसार प्रपत्र और विवरणियां, कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार, कंपनी विधि बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों के पास अधिनियम और नियमों के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर जमा कराए हैं।

3) कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत निजी लिमिटेड कंपनी है इसलिए इसके पास एक करोड़ रु. की भुगतानित पूंजी है और कथित वित्तीय वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान कंपनी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के अलावा 50 से कम थी

क अपने शेयरों और डिबेंचरों के लिए अंशदान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं किया है, और

ख अपने सदस्यों, निदेशकों या संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों से जमा राशि आमंत्रित या स्वीकार नहीं की है।

4) निदेशक मंडल की बैठक पांच बार 19.04.2012, 25.07.2012, 24.09.2012, 29.11.2012 और 05.03.2013 को आयोजित की गई, इन बैठकों के संबंध में उचित सूचनाएं दी गई थी और कार्रवाइयां उचित रूप से दर्ज की गई और इन पर हस्ताक्षर के साथ इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में पारित परिपत्र सकल्प दर्ज किए गए।

5) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सदस्यों का रजिस्टर बंद नहीं किया है।

6) चूंकि कंपनी का पंजीकरण 20.03.2012 को किया गया है, अतः इसे वित्तीय वर्ष 31.03.2012 के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार वार्षिक आम सभा आयोजित करने की जरूरत नहीं थी।

7) वित्तीय वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम सभा आयोजित नहीं की गई थी।

8) एक निजी कंपनी होने के नाते कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 लागू नहीं है।

9) कंपनी ने अधिनियम की धारा 297 के तहत निर्दिष्ट लेन देन में प्रवेश नहीं किया है।

10) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में अनिवार्य प्रविष्टियां की हैं।

11) कंपनी को निदेशक मंडल, सदस्यों से अनुमोदन, केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अधिनियम की धारा 314 के अंदर आने वाले कोई घटनाएं नहीं हुई थी।

12) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए हैं।

13) कंपनी ने

क वित्तीय वर्ष के दौरान ज्ञापन के अंशदाताओं को इक्विटी शेयर के आबंटन तथा शेयरों के अंतरण पर शेयर प्रमाणपत्र जारी किए है।

ख एक पृथक बैंक खाते में लाभांश की कोई राशि जमा नहीं कराई है, क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था।

ग कंपनी के किसी सदस्य को कोई किसी पोस्ट वॉरंट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था।

घ अधिनियम की धारा 217 का अनुपालन लागू नहीं है।

14) कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सभी नियुक्तियां की गई है।

15) प्रबंधन निदेशकों / प्रबंधकों की नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान निजी कंपनी पर लागू नहीं है।

16) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई एक मात्र बिक्री एजेंट नियुक्त नहीं किया है।

17) कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंपनी को केन्द्र सरकार, कंपनी विधि बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य प्राधिकरणों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

18) निदेशकों ने अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए निदेशक मंडल की कंपनियों / अन्य फर्मों में अपनी रुचि प्रकट की गई।

19) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान ज्ञापन के अंशदाताओं को आबंटित 10000 (नग) इक्विटी शेयर (1000 शेयरों सहित) जारी किए है।

20) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी शेयर को वापस नहीं लिया है।

21) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अधिमानी शेयर को नहीं भुनाया है।

22) कंपनी पर शेयरों के अंतरण के लंबित पंजीकरण हेतु लाभांश के अधिकार, शेयर अधिकार और बोनस शेयर पर संयम रखने के लिए कोई लेन देन अनिवार्य नहीं थी।

23) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58ए के अंदर आने वाले किसी अप्रतिभूत ऋण सहित अन्य कोई जमा राशि आमंत्रित / स्वीकार नहीं की है।

24) एक निजी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 293 (1) (घ) के तहत उधार लेने से संबंधित प्रावधान लागू नहीं है।

25) एक निजी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 372 ए के प्रावधान लागू नहीं है।

26) कंपनी ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थिति के संबंध में ज्ञापन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

27) कंपनी ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

28) कंपनी ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी के नाम के संबंध में ज्ञापन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

29) कंपनी ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी के शेयर पूंजी के संबंध में ज्ञापन के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।

30) कंपनी ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी की अर्हनियमावली में कोई बदलाव नहीं किया है।

31) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत कंपनी पर अधिरोपित किसी कथित अपराध के लिए अब तक किसी के विरुद्ध कोई अभियोजन या कारण बताओ सूचना और कोई आर्थिक दण्ड तथा शास्तियां या अन्य दण्ड प्राप्त नहीं किए है।

32) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है।

33) कंपनी ने भविष्य निधि से संबंधित अधिनियम की धारा 418 के प्रावधानों का पालन किया है।

अग्रवाल मनीष कुमार एण्ड कंपनी के लिए

दिनांक 09.09.2013
स्थान नई दिल्ली

कंपनी सचिव
मनीष कुमार अग्रवाल
(मालिक)
सी. पी. नं. 7067

अनुलग्नक–क

कंपनी द्वारा रखे गए रजिस्टर

सांविधिक रजिस्टर और अन्य रजिस्टरः

1) धारा 193 (1) के तहत निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त
2) धारा 193 (1) के तहत शेयरधारकों की बैठक के कार्यवृत्त
3) धारा 303 (1) के तहत निदेशक/प्रबंध निदेशक के रजिस्टर
4) धारा 150 (1) के तहत सदस्य के रजिस्टर
5) धारा 307 (1) के तहत निदेशक शेयरहोल्डिंग के रजिस्टर
6) धारा 301 के तहत संविदाओं के रजिस्टर जिनमें निदेशकों की रुचि
7) शेयर अंतरण के रजिस्टर

अनुलग्नक–ख

कंपनी द्वारा जमा किए गए प्रपत्र और विवरणियां

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्र सरकार या अन्य प्राधिकरणों में कंपनी द्वारा जमा किए गए प्रपत्र और विवरणियां।

31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई दस्तावेज जमा नहीं किए गए है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

प्रति सदस्य,

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने **बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल** (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलनपत्र और समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के विवरण (20 मार्च 2012 से 31 मार्च 2013 तक) और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। हमने तुलनपत्र, कंपनी के आय तथा व्यय में सरकारी लेखा परीक्षण (भारतीय महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक) के अवलोकनों के संदर्भ में उनकी लेखा टिप्पणियों में दिए गए सुझावों के अनुसार कुछ बदलावों के विषय में संशोधन के परिणामस्वरूप 20 जुलाई 2013 को इस रिपोर्ट के अधिक्रमण में हमारी रिपोर्ट जारी की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के वित्तीय निष्पादन, वित्तीय स्थिति का एक सत्य और निष्पक्ष चित्र देते है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के संगत आंतरिक नियंत्रण की संकल्पना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त है और एक सत्य और निष्पक्ष चित्र देते है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों में आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह उचित आश्वासन देने के लिए लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त है।

लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य पाने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाओं में लेखा परीक्षक के निर्णय के साथ वित्तीय विवरणों के गलत सामग्री विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। इन जोखिम आकलनों में लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण और कंपनी की तैयारी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, ताकि परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की डिजाइन बनाई जा सके। एक लेखा परीक्षण में प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की उपयुक्तता और प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण मूल्यांकित करना शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त हैं और हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

राय

हमारा राय में और अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना देने वाले वित्तीय विवरणों में दी गई व्याख्याओं के अनुसार, और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष चित्र देते है

क) तुलन पत्र के मामले में कंपनी के कार्यों की स्थिति 31 मार्च 2013 के अनुसार

ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय, व्यय पर आय की अधिकता के मामले में, और

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1 कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा आवश्यक ("आदेश") भारत की केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4ए) के संदर्भ में आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण का अनुलग्नक प्रदान करते हैं। लागू नहीं।

2 अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा आवश्यक, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सभी सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त की हैं, और विश्वास है कि ये लेखा परीक्षण के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थी,

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा लेखा की उचित बहियां रखी गई है जो कानून के अनुसार आवश्यक है, जैसा कि इन बहियों की जांच से प्रकट होता है,

ग) तुलनपत्र, आय तथा व्यय के विवरण जिन्हें इस रिपोर्ट में लिया गया है, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में तुलनपत्र और आय तथा व्यय के विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुरूप है,

ङ) कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई), दिनांक 21 अक्तूबर 2003 के संदर्भ में सरकार की कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यता से छूट दी जाती है।

संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.–013022एन

सीए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अगस्त 2013

तुलन पत्र

	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल		
	31 मार्च, 2013 के अनुसार तुलन पत्र		
			राशि रुपये में
	विवरण	नोट सं.	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि (31.03.2013) के लिए आंकड़े
	इक्विटी और देयताएं		
(1)	शेयरधारकों की निधि		
(a)	पूंजीगत शेयर	1	1,00,00,000.00
(b)	आरक्षित और अधिशेष	2	8,66,147.00
(c)	अचल परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत अनुदान		43,37,966.00
(2)	**वर्तमान देयताएं**		
(a)	अन्य वर्तमान देयताएं	3	37,72,49,979.00
(b)	अल्पावधि प्रावधान	4	2,78,465.00
	कुल		**39,27,32,557.00**
	परिसंपत्तियां		
(1)	**गैर – वर्तमान परिसंपत्तियां**	5	
(a)	**अचल परिसंपत्तियां**		
(i)	मूर्त परिसंपत्तियां		36,05,876.00
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियां		5,38,390.00
(b)	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	6	18,20,000.00
(2)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**		
(a)	नकद और नकद समकक्ष	7	27,16,55,533.00
(b)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	8	11,51,12,758.00
	कुल		**39,27,32,557.00**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (1 से 26 तक का सहवर्ती नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं)	13	

हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

एस. के. लाल
(कंपनी सचिव)

रेणु स्वरूप
(प्रबंध निदेशक)

के. विजय राघवन
(अध्यक्ष)

संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं–013022एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अगस्त 2013

सीए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

आय एवं व्यय खाते

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल			
31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय के विवरण			
			राशि रुपये में
	विवरण	नोट सं.	वर्तमान वित्तीय अवधि (31.03.2013) के लिए आंकड़े
(1)	**आय**		
(a)	अनुदान प्राप्ति और उपयोग	9	46,330,771.00
(b)	अन्य आय	10	1,615,217.00
	कुल राजस्व (क)		**47,945,988.00**
(2)	**व्यय**		
	कर्मचारी लाभ व्यय	11	5,344,991.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		193,730.00
	अन्य व्यय	12	41,262,655.00
	कुल व्यय (ख)		**46,801,376.00**
(3)	**असाधारण और असाधारण मदों से पहले व्यय से अधिक आय का अधिशेष ग = (क–ख)**		**1,144,612.00**
(4)	असाधारण मद (घ)		-
(5)	असाधारण मदों से पहले अधिशेष (ङ = 3–4)		1,144,612.00
(6)	असाधारण मद (च = 5–6)		-
(7)	**कर पूर्व आय (जी = 6–7)**		**1,144,612.00**
	घटाएं आय कर के लिए प्रावधान		278,465.00
	वर्ष के लिए अधिशेष अरक्षित और अधिशेष लेखा को आगे बढ़ाया गया		**866,147.00**
(8)	प्रति इक्विटी अर्जित शेयर		
	(1) मूल		86.61
	(2) तनुकृत		86.61
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (लेखा टिप्पणी 1 से 26 वित्तीय विवरणों के भाग हैं)	13	

हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

एस. के. लाल	रेणु स्वरूप	के. विजय राघवन
(कंपनी सचिव)	(प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष)

संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं–013022एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अगस्त 2013

सीए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 093446

लेखा पर टिप्पणी

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल			
वित्तीय विवरणों के नोट			
1 पूंजीगत शेयर			
	विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.2013) के लिए आंकड़े	
क	अधिकृत		
	प्रत्येक 1000 रु. के इक्विटी शेयर	10,000,000.00	
ख.	जारी, सदस्यता और पूर्ण भुगतान		
	प्रत्येक 1000 रु. के 10,000 इक्विटी शेयर पूरी तरह भुगतान	10,000,000.00	
	सदस्यता लेकिन पूरी तरह भुगतान नहीं	शून्य	
	कुल	10,000,000.00	
ग.	शेयरों की संख्या का सामंजस्य		
		शेयरों की सं.	राशि रुपये में
	प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या		-
	जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	10,000	10,000,000.00
	वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या (अंत शेष)	10,000	10,000,000.00
घ.	कंपनी के इक्विटी शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक दिए गए शेयरधारकों के विवरण		
	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की सं.	आयोजित शेयरों का प्रतिशत
	भारत के राष्ट्रपति	9,000	90.00
	डॉ. (प्रो.) महाराज किशन भान (भारत के राष्ट्रपति की ओर से आयोजित)	900	9.00
	डॉ. रेणु स्वरूप (भारत के राष्ट्रपति की ओर से आयोजित)	100	1.00
	कुल	10,000	100
ङ	अन्य विवरण और अधिकार		
	कंपनी प्रत्येक 1000 रु. के सम मूल्य पर जारी किए गए इक्विटी शेयरों का केवल एक ही वर्ग है।		
	प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास प्रति शेयर अधिकार के लिए एक वोट है।		
	शेयर लाभांश का अधिकार नहीं है।		
	शेयरों के परिसमापन की स्थिति में शेयर वितरण का अधिकार नहीं है		

2 आरक्षित और अधिशेष

	अधिशेष		
	आरंभिक शेष	शून्य	
	जोड़ें: आय और व्यय के विवरण का अंतरण	866,147.00	
	कुल	866,147.00	

Contd...

	विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.2013) के लिए आंकड़े	
	वित्तीय विवरणों के नोट		
3	**अन्य वर्तमान देयताएं**		
	अप्रयुक्त अनुदान (वेलकम ट्रस्ट)*		103,297,534.00
	अप्रयुक्त अनुदान आगे बढ़ाया गया		
	बाइरैक निधि (आई एंड एम)	148,968,800.00	
	बाइरैक निधि (जनशक्ति) खाता	4,655,009.00	
	बाइरैक निधि (गैर आवर्ती) खाता	5,662,034.00	
	बाइरैक निधि (आवर्ती) खाता	105,017,220.00	264,303,063.00
	अन्य देय		
	वैधानिक देयताए	1,735,256.00	
	अन्य	7,914,126.00	9,649,382.00
	कुल		**377,249,979.00**
	*(वेलकम ट्रस्ट के अप्रयुक्त अनुदान लौटाए जाएंगे नोट सं 19)		
4	**अल्पावधि प्रावधान**		
	आय कर के लिए प्रावधान	278,465.00	
	कुल	**278,465.00**	
5	**गैर – वर्तमान परिसंपत्तियां**		
	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम		
	प्रतिभूति जमा	1,120,000.00	
	ऋण	700,000.00	
	(बीआईपीपी योजना के तहत बायोटेक कंसोर्टियम ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से दिए गए)		
	असुरक्षित, विचाराधीन	शून्य	
	निदेशकों / अधिकारियों को देय	शून्य	
	कुल	**1,820,000.00**	
7	**वर्तमान परिसंपत्तियां**		
	नकद और नकद समकक्ष		
	हाथ में नकद	14,030.00	
	बचत खातों में बैंक शेष	271,641,503.00	
	कुल	**271,655,533.00**	
	वित्तीय विवरणों के नोट		
8	**अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां**		
	वसूली योग्य अग्रिम	742,180.00	
	पूर्व भुगतानित व्यय	2,880,578.00	
	बीआईपीपी योजना के तहत बीसीआईएल के साथ अधारित मूल्य	111,490,000.00	
	कुल	**115,112,758.00**	
9	**आय**		
	अनुदान प्राप्ति और उपयोग किए गए		
	जनशक्ति व्यय के लिए अनुदान	5,344,991.00	
	आवर्ती व्यय के लिए अनुदान	39,471,780.00	
	व्यय के लिए बीसीआईएल द्वारा उपयोगी अनुदान	1,514,000.00	
	कुल	**46,330,771.00**	
	संदर्भ नोट सं. 26		

Contd.

10	**अन्य आय**		
	प्राप्त ब्याज – बचत खाता	1,614,517.00	
	विविध आय	700.00	
	कुल	**1,615,217.00**	
11	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	कर्मचारी के वेतन और भत्ते	4,597,491.00	
	भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान	747,500.00	
	कुल	**5,344,991.00**	
	वित्तीय विवरणों के नोट		
12	**अन्य व्यय**		
	एएमसी व्यय	318,717.00	
	यात्रा व्यय	4,765,436.00	
	बैठक और सम्मेलन व्यय	6,941,087.00	
	विज्ञापन व्यय	6,498,600.00	
	भवन निर्माण प्रभार	685,085.00	
	कानूनी और व्यावसायिक व्यय	4,520,174.00	
	कार्यालय व्यय	325,439.50	
	विद्युत और इलेक्ट्रिकल व्यय	216,630.00	
	मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	415,830.00	
	किराया	9,795,181.00	
	सिटिंग शुल्क और टीए और डीए	392,735.00	
	प्रायोजन	100,492.00	
	शुल्क एवं सदस्यता	832,927.50	
	वाहन व्यय	831,130.00	
	कार्यशाला व्यय	2,358,481.00	
	बीआईपीपी योजना के लिए किए गए व्यय	1,514,000.00	
	आकस्मिक व्यय बट्टे खाते डाले गए	276875.00	
	सुरक्षा सेवा	277,747.00	
	डाक और टेलीफोन व्यय	129,282.00	
	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	56,180.00	
	बैंक प्रभार	2,305.00	
	विविध व्यय	8,321.00	
	कुल	**41,262,655.00**	

हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार
बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

एस. के. लाल
(कंपनी सचिव)

रेणु स्वरूप
(प्रबंध निदेशक)

के. विजय राघवन
(अध्यक्ष)

संपर्क एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.-013022एन

सीए. पंकज शर्मा
(भागीदार)
सदस्यता सं 093446

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अगस्त 2013

संदर्भ टिप्पणी संख्या 9

सदर्भ टिप्पणी संख्या 9 (राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.2013) के लिए आंकड़े	
	अल्पावधि	दीर्घावधि
बाइरैक (वेलकम ट्रस्ट खाता)	103,297,534.00	-
कुल	103,297,534.00	-

वैधानिक देनदारियां (राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.2013) के लिए आंकड़े	
	अल्पावधि	दीर्घावधि
देय टीडीएस	294,116.00	-
देय कर्मचारी भविष्य निधि	1,441,140.00	-
कुल	1735256.00	-

देय अन्य (राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.2013) के लिए आंकड़े	
	अल्पावधि	दीर्घावधि
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	276,875.00	-
देय लेखा परीक्षा शुल्क	50,562.00	-
देय विद्युत व्यय	37,400.00	-
देय टेलीफोन व्यय	8,034.00	-
अन्य	7541255.00	-
कुल	7914126.00	-

बचत खातों में बैंक शेष (राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.2013) के लिए आंकड़े	
	अल्पावधि	दीर्घावधि
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (आई एंड एम)	37,540,690.00	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (वेलकम ट्रस्ट)	103,297,534.00	
कॉर्पोरेशन बैंक	130,803,279.00	
कुल	271,641,503.00	-

5. विविध विवरणों पर टिप्पणियां

अचल परिसंपत्तियां (राशि रुपये में)

विवरण	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (01.04.12) के आरंभ में आंकड़े	जमा/ समायोजन	बिक्री/ समा-योजन	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.13) के अंत में आंकड़े	2011-12 तक शुल्क	वर्ष 2012-13 के लिए	बिक्री / समा-योजन	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.13) के अंत में कुल	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.13) के अंत में डब्ल्यूडीवी	वर्तमान समीक्षाधीन अवधि (31.03.12) के अंत में डब्ल्यूडीवी
मूर्त											
फर्नीचर और फिक्सचर	18.10%	-	3,456,952.00	-	3,456,952.00	-	114,656.00	-	114,656.00	3,342,096.00	-
कंप्यूटर	40%	-	274,300.00	-	274,300.00	-	10,520.00	-	10,520.00	263,780.00	-
कुल मूर्त		-	3,731,252.00	-	3,731,252.00	-	125,376.00	-	125,376.00	3,605,876.00	-
अमूर्त											
वेबसाइट विकास	40%	-	606,744.00	-	606,744.00	-	68,354.00	-	68,354.00	538,390.00	-
कुल अमूर्त		-	606,744.00	-	606,744.00	-	68,354.00	-	68,354.00	538,390.00	-
कुल		-	4,337,996.00	-	4,337,996.00	-	193,730.00	-	193,730.00	4,144,266.00	

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

संख्या न.13

नैगम सूचना:

बायोटेक्नोलॉजी इण्डस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) "कंपनी" दिनांक 20 मार्च 2012 की पंजीकरण संख्या यू/3100डीएल2012एनपीएल233152 के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक धारा 25 'गैर लाभकारी कंपनी' है। यह दिनांक 9 दिसम्बर 2011 मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आदेश सं. 40/सीएम/2011 (1) द्वारा अस्तित्व में आई। कंपनी बायोटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के पोषण, संवर्धन और मेंटरिंग में संलग्न है।

वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप (भारतीय जीएएपी) के अनुसार बनाए गए हैं। कंपनी ने ये वित्तीय विवरण सभी सामग्री संदर्भों के पालन हेतु बनाए हैं, जो कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार बनाए गए हैं। ये वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए है और ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन है।

क राजस्व मान्यता

बाइरैक को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से अपनी योजनाओं के प्रचालन और चलाने के लिए अनुदान प्राप्त होते हैं। कंपनी द्वारा निधि समाप्त हो जाने पर निधियों की पुन: प्राप्तियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं व्यय के विवरण (यूसीएसई) जमा किए जाते हैं। डीबीटी द्वारा बाइरैक को निधियों की मंजूरी और संवितरण किया जाता है। निधियों को तभी मान्यता दी जाती है जब इन्हें बाइरैक द्वारा प्राप्त किया जाता है। अत: निधियों को प्राप्ति या नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।

अनुदान प्राप्त किए जाते है और इन्हें प्राप्ति आधार पर आय के रूप मे मान्यता दी जाती है तथा प्रचालन और गतिविधियों मे उपयोग किया जाता है। अप्रयुक्त अनुदान पर प्राप्त ब्याज को प्राप्ति आधार पर अन्य आय में लेखा में लिया जाता है।

ख अचल परिसंपत्तिया

अचल परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास के निवल और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, के अनुसार बताया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, उधारी मूल्य, यदि पूंजीकरण के मानदण्ड पूरे किए जाते है और इस परिसंपत्ति को आशयित उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए परिसंपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से देय लागत शामिल है। किसी अचल परिसंपत्ति की स्थापना और अधिग्रहण के लिए प्राप्त कोई सब्सिडी / प्रतिपूर्ति / योगदान प्राप्ति के वर्ष में कटौती के रूप में दर्शाया जाता है। पूंजी प्रगतिशील कार्य को लागत पर बताया गया है।

अचल परिसंपत्तियों के एक मद से संबंधित अगले व्यय को बहि मूल्य में केवल तभी जोड़ा जाता है यदि इससे मौजूदा परिसंपत्ति से होने वाले भावी लाभ अनुमानित निष्पादन स्तर से आगे बढ़ते है। मौजूदा अचल संपत्तियों पर सभी व्यय सहित दैनिक मरम्मत और रखरखाव व्यय और पुर्जे बदलने की लागत को उस अवधि के दौरान आय और व्यय के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस दौरान उक्त व्यय किए गए है।

अचल परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानियों को मान्यता समाप्त परिसंपत्ति की अग्रेषण राशि और निवल निपटान प्राप्तियों के बीच अंतर से मापा जाता है।

ग मूल्यह्रास और बंधक रखना

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा आकलित उपयोगी जीवन के आधार पर प्राप्त दरों का उपयोग करते हुए बट्टे खाते डालने की विधि (डब्ल्यूडीवी) पर प्रदान किया जाता है या कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के तहत निर्दिष्ट विधि द्वारा, इनमें से जो अधिक है।

वर्ष, अवधि के दौरान जोड़ी/निपटान की गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास जोड़ने/निपटान की तिथि के संदर्भ में यथानुपात आधार पर किया जाता है। व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का मूल्य 5000 रु. तक क्रय के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास माना जाता है।

घ अस्पष्ट परिसंपत्तियां

अस्पष्ट परिसंपत्तियों का अधिग्रहण अलग से लागत पर मापा जाता है। अस्पष्ट परिसंपत्तिया लागत से संचित बंधक राशि और संचित

क्षति हानि हटा कर ली जाती है, यदि कोई हो। आंतरिक तौर पर उत्पन्न होने वाली अस्पष्ट परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं किया जाता है और इन्हें उस वर्ष में आय तथा व्यय के विवरण में खर्च के तौर पर दिखाया जाता है जिसमें व्यय किया गया है।
अस्पष्ट परिसंपत्तियों को बट्टे खाते डालने की विधि (डब्ल्यूडीवी) पर बंधक रखा जाता है। बंधक रखने की अवधि और बंधक रखने की विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है।

ठ विविध व्यय

आरंभिक व्यय को वर्ष के दौरान किए गए व्यय के अनुसार बंधक रखा जाता है।

च विदेशी मुद्रा लेन देन/रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेन देने और संतुलन विदेशी मुद्रा अंतरण सरकार के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी इकाइयों से प्राप्त किसी योगदान के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त किए जाते हैं।

- **आरंभिक मान्यता**
  विदेशी मुद्रा लेन देन को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच लेन देन की तिथि पर विनिमय दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है।
- **रूपांतरण**
  विदेशी मुद्रा के मौद्रिक मद रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए पुन: रूपांतरित किए जाते हैं।
- **विनियमन अंतर**
  दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों से उत्पन्न होने वाली विनिमय दरें अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित होती है, जिनका पूंजीकरण किया जाता है और परिसंपत्ति के बचे हुए उपयोगी जीवन में मूल्यह्रास लगाया जाता है। अन्य विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतरखाता" में रखा जाता है और संबंधित मौद्रिक मद के शेष जीवन में बंधक रखा जाता है।
  अन्य सभी विनिमय अंतरों को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में लिया जाता है।

छ आय पर कर

यह कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित धारा 25 "गैर लाभकारी कंपनी" है। यह अपनी गतिविधियों से कोई आय / राजस्व उत्पन्न नहीं करती।

ज कर्मचारी लाभ

कंपनी में कोई स्थायी रोजगार संरचना नहीं है। कंपनी के सभी कर्मचारी संविदा आधार पर लिए जाते हैं, जिन्हें उनके अच्छे निष्पादन के तहत आवधिक अवधि के बाद नवीकृत किया जाता है। कंपनी में संविदात्मक कैरियर मार्ग अपनाया जाता है जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित मंत्रिमंडल के प्रावधानों के पालन में मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
एएस–15 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि सभी कर्मचारी मंत्रिमंडलीय टिप्पणी के अनुमोदन के अनुसार संविदात्मक आधार पर हैं।
जबकि, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्रावधान कंपनी पर लागू है, अत: कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दिया जाता है, जिसे उस वरिष्ठ के आय और व्यय विवरण में रखा जाता है जिसमें योगदान किया गया है। कंपनी पर कर्मचारी भविष्य निधि में देय योगदान के अलावा कोई बाध्यता नहीं है।

झ प्रति शेयर अर्जन

कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित धारा 25 "गैर लाभकारी कंपनी" है। यह अपनी गतिविधियों से कोई आय / राजस्व उत्पन्न नहीं करती है। यह अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश वितरित नहीं करती है। जबकि एएस–20 के पालन के लिए कंपनी ने ईपीएस की गणना निम्नानुसार की है।

क) प्रति शेयर मूलभूत अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों से देय अवधि के लिए निवल आय या हानि के विभाजन से की जाती है।

ख) प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि हेतु निवल लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत संख्या सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयर के प्रभाव हेतु समायोजित की जाती है।

ञ परिसंपत्तियों की क्षति

परिसंपत्तियों की अग्रेषण राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाएगी। यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर क्षति

का कोई संकेत है तो एक क्षति हानि को मान्यता दी जाएगी, जहां भी परिसंपत्ति की अग्रेषण राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि परिसपत्तियो से निवल बिक्री मूल्य और उपयोग मूल्य से अधिक होती है। उपयोग के आकलन मूल्य मे, अनुमानित भावी नकद प्रवाह पर उनके वर्तमान मूल्य में पूंजी के भारित औसत मूल्य पर रियायत दी जाती है।
क्षति के बाद परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन की संशोधित अग्रेषण राशि पर मूल्यह्रास दिया जाएगा।

ट प्रावधान

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कपनी के बाद वर्तमान बाध्यता होती है, यह सभवत आर्थिक लाभो को निहित करने वाले ससाधनों का बाहरी प्रवाह है जो बाध्यताओ के निपटान के लिए आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि से विश्वसनीय आकलन किए जा सकेंगे। प्रावधानों पर उनके वर्तमान मूल्य में रियायत नही दी गई है और इनका निर्धारण रिपोर्टिंग तिथि पर बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक सर्वोत्तम आकलन के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन आकलनों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम आकलन दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है।

ठ आकस्मिक देयताएं

एक आकस्मिक देयता सभावित बाध्यता है जो पिछली घटनाओ से उत्पन्न होती है और जिन के अस्तित्व की पुष्टि कपनी के नियत्रण से परे एक या अधिक अनिश्चित भविष्य से होती है या एक वर्तमान बाध्यता, जो मान्यता योग्य नही है क्योंकि यह सभव नही है कि बाध्यता के निपटान के लिए ससाधनो के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक देयता उन प्रतिकूल दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न हो सकती है जहा ऐसी देयता है जिसे विश्वसनीय रूप से माप नहीं पाने के कारण मान्यता नही दी जा सकती। कपनी द्वारा आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं दी जाती है, किन्तु यह वित्तीय विवरणों में अस्तित्व को प्रकट करती है।

ड ऋण और अग्रिम

दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम को तुलनपत्र मे ऋण तथा अग्रिम के रूप मे दर्शाया गया है।

ढ संबंधित पक्षकार प्रकटन

लेखा मानक –18 के प्रावधान लागू नही है क्योंकि यहा
(क) कोई सबधित पक्षकार सबध नही, और
(ख) रिपोर्टिंग उद्यम और इसके सबधित पक्षकारो के बीच कोई लेन देन नही।

14. मत्रीमडल के अनुमोदन के अनुसार बाइरैक को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से अपने प्रचालनों और विभिन्न अनुमोदित गतिविधियो के लिए सपूर्ण निधि प्राप्त होती है। बाइरैक की प्रचालन लागत सहित आवर्ती, अनावर्ती और जनशक्ति के लिए निधिकरण होता है। इसके अलावा अनुमोदित योजना के लिए सबधित एजेंसियो को बाइरैक द्वारा बजट प्रदान किया जाता है जो अनुमोदित चयन प्रक्रिया को अपनाकर चुनी जाती है। ये निधियां वर्तमान में अनुसधान हेतु सहायता अनुदान और नवाचार के लिए दी जाती हैं और गैर वसूली योग्य है।

15. बाइरैक मंत्रीमडल के अनुमोदन के अनुसार आई एड एम क्षेत्र योजना बजट के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के प्रबधन और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इन निधियों को खास तौर पर दो अनुमोदित योजनाओं के लिए दिया गया है।

क जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी)

ख जैव – इक्यूबेटर समर्थन योजना (बीआईएसएस)

क बीआईपीपी योजना के लिए, बायोटेक कंसोशियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल) ने परियोजना प्रबधन एजेंसी के तौर पर अनुमोदन दिया गया है और बीसीआईएल को परियोजनाओं के संवितरण हेतु तदनुसार निधि जारी की, जिन्हे बाइरैक द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन दिया गया है। बीसीआईएल द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार बाइरैक की ओर से जारी विशिष्ट निर्मुक्ति आदेश के आधार पर संवितरण किए गए हैं। ये निधियां सहायता अनुदान और ऋण दोनों का मिश्रण है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार बीसीआईएल द्वारा ऋण की वसूली की जाती है और इसे जल्दी ही डीबीटी को भेज दिया जाता है तथा इसे बाइरैक के तुलन पत्र मे नही दर्शाया जाता है। सहायता अनुदान गैर वसूली योग्य है।

ख बायो इक्यूबेटर योजना के तहत केवल तय प्रक्रिया के अनुसार बाइरैक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में सहायता अनुदान का वितरण किया जाता है। ये सहायता अनुदान गैर वसूली योग्य है।

16. बाइरैक द्वारा निधिकृत कार्यक्रमों के तहत परिसंपत्तियों का सृजन अनुदान दाता के नाम पर वितरित निधि द्वारा किया जाता है। अनुदान प्राप्त करने वाले से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी लागत पर इन परिसंपत्तियों का रखरखाव और सुरक्षा करें तथा वे अनुदान दाता अर्थात बाइरैक के पूर्व अनुमोदन के बिना इन परिसंपत्तियों का निपटान नहीं कर सकते हैं।

17. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बाइरैक द्वारा परियोजना निगरानी इकाई के लिए बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) की ओर से एफसीआरए अनुमोदन प्राप्त किया गया था। जबकि इस खाते में कोई लेन देन नहीं किया गया था।

18. बाइरैक को 20 मार्च 2012 को निगमित किया गया था तथा बोर्ड के संकल्प के अनुसार प्रथम वित्तीय वर्ष 20 मार्च 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच है। प्राप्त अनुदानों के विवरण निम्नानुसार है

- जनशक्ति शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश सं बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 28.09.2012 को 1.00 करोड़ रु.
- आवर्ती शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश सं बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 28.09.2012 को 5.75 करोड़ रु.
- अनावर्ती शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश सं बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 28.09.2012 को 1.25 करोड़ रु.
- अनावर्ती शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश सं बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 18.02.2013 को 0.75 करोड़ रु.
- आवर्ती शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश सं. बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 18.02.2013 को 2.25 करोड़ रु.
- आवर्ती शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश सं बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 26.03.2013 को 10.00 करोड़ रु.
- आवर्ती शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश सं बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 29.03.2013 को 3.50 करोड़ रु.

बाइरैक प्रचालन लागत और गतिविधि के लिए प्राप्त कुल अनुदान वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए केवल 24.50 करोड़ रु. (चौबीस करोड़ और पचास लाख रु.) था।

(क) प्रचालन लागत के लिए 3.95 करोड़ रु. प्रयुक्त थे।
(ख) विभिन्न योजनाओं के लिए निम्नानुसार 7.05 करोड़ रु.
(ग) प्राधिकृत शेयर पूंजी के लिए 1.00 करोड़ रु.
(घ) मूर्त और गैर मूर्त परिसंपत्तियों के लिए 0.43 करोड़ रु.
(ङ) जनशक्ति व्यय के लिए 0.53 करोड़ रु.

विभिन्न परियोजनाओं के तहत निधि के वितरण के विवरण इस प्रकार है

वितरण की तिथि	परियोजना का नाम	राशि (रु.)
बाइरैक योजनाएं		
19/11/2012	एनएबीआई (मोहाली)	1,19,56,000.00
19/11/2012	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र (एनआरसीबी)	85,40,000.00
19/11/2012	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी)	44,05,000.00
26/11/2012	राष्ट्रीय कृषि–खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआई)	11,90,000.00
11/12/2012	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएएनयू)	3,92,000.00
11/12/2012	आईआईएचआर	3,92,000.00
05/03/2013	एनबीआरसी	9,00,000.00
05/03/2013	लीडइवेंट टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	27,00,000.00
05/03/2013	निदेशक, साउथ कैम्प, दिल्ली	22,00,000.00
13/03/2013	बीआईबीसीओएल	1,43,61,000.00
14/03/2013	आईकेपी एकनॉलेज पार्क – बीआईजी परियोजना	1,00,00,000.00
15/03/2013	निदेशक, एम्स, दिल्ली	11,75,000.00
19/03/2013	एक्सेआरिस जेनोमिक्स लि.	30,00,000.00
19/03/2013	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	53,00,000.00
23/03/2013	सीआरएस पथ लैब, दिल्ली	40,00,000.00
	कुल	7,05,11,000.00

उपरोक्त के अलावा जैसाकि तुलन पत्र में बताया गया है आई एंड एम क्षेत्र के तहत बीआईपीपी और जैव–इनक्यूबेटर योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 3 किश्तों में 31.4979 करोड़ रु. की राशि भी प्राप्त हुई है।

प्राप्त निधि की दूसरी किस्त नीचे दी गई है

- आई एंड एम द्वितीय शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश स. बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 19.11.2012 को 15.00 करोड़ रु
- आई एंड एम द्वितीय शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश स. बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 26.03.2013 को 4.9979 करोड़ रु
- बीआईपीपी शीर्ष के तहत डीबीटी द्वारा स्वीकृत आदेश स. बीटी/बाइरैक/01/2012 दिनांक 28.09.2012 को 11.50 करोड़ रु

इस शीर्ष में कुल 31.4979 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई थी। इस राशि में से 16.60 करोड़ रु. की राशि उपयोग की गई थी तथा अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 में 14.90 करोड़ रु. की राशि अग्रेषित की गई थी।

विभिन्न परियोजनाओं के तहत निधियो के वितरण के विवरण इस प्रकार हैं

आई एंड एम सेक्टर		राशि (रु.)
14/01/2013	सी कैम्प	1,95,00,000.00
22/02/2013	आईआईटी मद्रास	4,12,60,000.00
27/02/2013	आईकेपीएकनॉलेज पार्क	3,30,00,000.00
06/03/2013	केआईआईटी भुवनेश्वर	1,52,18,000.00
07/03/2013	आईआईटी कानपुर	3,88,99,200.00
30/03/2013	आईआईटी दिल्ली	1,51,00,000.00
30/03/2013	बीआईपीपी	15,19,000.00
30/03/2013	बीआईपीपी (योजना के लिए अन्य व्यय)	15,14,000.00
	कुल	16,60,10,200.00

19. बाइरैक ने डीबीटी – वेलकम ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से 10.25 करोड़ प्राप्त किए। इस राशि को एक अलग खाते में रखा गया है। संवितरण नहीं किया गया था चूंकि डीबीटी से कोई विशेष दिशानिर्देश प्राप्त नही हुए थे। तदनुसार 7,97,534 रु. की अर्जित ब्याज राशि को कंपनी की आय में शामिल नही किया गया है। इस राशि को डीबीटी में जमा किए गए उपयोग के विवरण में भेजा जाएगा।

20. बाइरैक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। कंपनी को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकरण के लिए लागू किया गया है। कंपनी ने दानों के संबध में कटौती के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत मंजूरी मांगी है।

21. दिसंबर 2012 में ईपीएफ के लिए पंजीकरण लागू किया गया था। कंपनी को अप्रैल, 2013 में पंजीकरण मिला। कंपनी ने अब तक, जून 2012 से मार्च 2013 की कवरेज अवधि के लिए प्राधिकृत ईपीएफ के साथ ईपीएफ अंशदान जमा किया।

22. विदेशी विनिमय लेनदेन: वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निम्न आय / व्यय किया गया।

क. आय: शून्य

ख. व्यय:

(1) विदेश यात्रा

(क) निदेशक: शून्य (ख) अन्य कर्मचारी (एक)। 25,436.00 रु. (300 अमेरिकी डॉलर और भारतीय रु. में अन्य व्ययों सहित)

(2) डेटाबेस सदस्यता: 16,53,789.00 रु. (30,000 अमेरिकी डॉलर)

23. वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आयात के सीआईएफ मूल्य शून्य है।

24. सांविधिक लेखा परीक्षकों के भुगतान के विवरण (राशि रु. में)

लेखा परीक्षा शुल्क:	50,000.00
सेवा कर	6,180.00
कुल	56,180.00

25. यह कंपनी का प्रथम वित्तीय वर्ष है यह 20 मार्च, 2012 से कार्य कर रहा है। इसलिए, पिछले वर्ष से संबधित किसी आंकड़े का उल्लेख नहीं किया गया है।

26. प्रयुक्त अनुदान के विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्राप्त निधि	प्रयुक्त निधि (योजना)	प्रयुक्त निधि (अन्य)	अर्जनीत शेष
1	आई एंड एन निधि	31,49,79,000.00	16,44,96,200.00	1514000.00	14,89,68,800.00
2	बाइरैक योजना	21,50,00,000.00	7,05,11,000.00	3,94,71,780.14	10,50,17,219.86
3	डीबीटी (अनावर्ती)	20000000.00	0.00	14337966.00	5662034.00
4	जनशक्ति	10000000.00	0.00	53,44,991.00	4655009.00
5	कुल	55,99,79,000.00	23,50,07,200.00	60668737.14	26,43,03,062.86

बायोटेक केसोर्टियम इंडिया लि. द्वारा प्रयुक्त निधियों के विवरण

बाइरैक द्वारा वितरित	115000000.00
बीसीआईएल द्वारा प्राप्त ब्याज जोड़ा गया	223000.00
	115223000.00
बीसीआईएल द्वारा दिए गए अनुदान घटाए गए	1519000.00
बीसीआईएल द्वारा दिए गए ऋण घटाए गए	700000.00
बीसीआईएल द्वारा दिए गए व्यय घटाए गए	1514000.00
बीसीआईएल अर्जनीत सहित शेष	111490000.00

पूर्व भुगतान व्यय के विवरण

विवरण	रुपये
पूर्व भुगतान किराए	1971624.00
पूर्व भुगतान ब्याज व्यय	56026.00
पूर्व भुगतान सदस्यता	832928.00
पूर्व भुगतान व्यय	20000.00
कुल	**2880578.00**

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के निदेशक गढ़ल के लिए और उनकी ओर से

एस. के. लाल	रेणु स्वरूप	के. विजय राघवन
(कार्यकारी सचिव)	(प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) के लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बाइरैक) के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार बनाना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्दिष्ट लेखा परीक्षण और आश्वासन मानकों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसे दिनांक 30.08.2013 की उनकी लेखा परीक्षण रिपोर्ट द्वारा बताया गया है।

मैं, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बाइरैक के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के तहत पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षणों के कार्य दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों एवं लेखा अभिलेखों में से कुछ की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक दे सके।

भारतीय नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

अत्रेयी दास
प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक व पदेन
लेखा परीक्षा मंडल के सदस्य–II

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2013

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल
(भारत सरकार का उद्यम)
ए–254, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 (इंडिया), ई–मेल : birac.dbt@nic.in, Website : www.birac.nic.in